



वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
पंचायती राज विभाग
(1-4-2023 से 31-3-2024)



निदेशालय, पंचायती राज विभाग, ब्लाक नं०-27,
एस० डी० ए० कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी
शिमला-171009.

विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय	विवरण	पृष्ठ	
			हिन्दी	English
1.	अध्याय-1	परिचय	3-11	41-50
2.	अध्याय-2	विभाग का प्रमुख कार्य	12	51
3.	अध्याय-3	पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक ढांचा	13-14	52-53
4.	अध्याय-4	पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां	15-21	54-59
5.	अध्याय-5	अंकेक्षण व निरीक्षण	22-23	60-61
6.	अध्याय-6	प्रशिक्षण	24-25	62-63
7.	अध्याय-7	पंचायत भवन, जिला परिषद भवन	26	64
8.	अध्याय-8	ई-पंचायत परियोजना	27-28	65-66
9.	अध्याय-9	रा0 ग्रा0 स्व0 अभियान	29	67
10.	अध्याय-10	सराहनीय कार्य/उपलब्धियां	30	68
10.	अध्याय-11	अनुदान	31-32	69-70
11.	अध्याय-12	सूचना का अधिकार अधिनियम	33-38	71-78

अध्याय-1

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का परिचय

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना वैधानिक रूप से वर्ष 1954 में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत की गई। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1952 के लागू होने से पूर्व प्रदेश में 280 ग्राम पंचायतें थीं और उक्त अधिनियम के लागू हो जाने के पश्चात् वर्ष 1954 में 466 ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं जिनकी संख्या 1962 में बढ़कर 638 हो गई। 01 नवम्बर 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिलाया गया, परिणामस्वरूप प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 1695 हो गई। मिलाए गए क्षेत्रों में पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली गठित थी जबकि इस राज्य में द्विस्तरीय प्रणाली गठित थी। पुराने तथा नए क्षेत्रों की पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 दिनांक 15 नवम्बर, 1970 से लागू किया और सम्पूर्ण प्रदेश में दो-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त राज्य में न्यायिक कार्यों के लिए अलग से न्याय पंचायतें गठित थीं परन्तु 1977 में न्याय पंचायतों का अस्तित्व समाप्त करके न्यायिक कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। उपरोक्त अधिनियम के वर्ष 1970 में लागू होने के पश्चात् ग्राम सभा क्षेत्रों का समय-2 पर पुनर्गठन तथा विभाजन करके नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया।

ग्राम पंचायतों की वर्ष 1952 से संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	1952	280
2	1954	466
3	1962	638
4	1966	1695
5	1972	2035
6	1978	2357
7	1985	2597
8	1991	2757
9	1995	2922
10	2000	3037
11	2005	3243
12	2010	3243
13	2015	3226
14	2020	3615

वर्ष 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन से पूर्व तीन नई पंचायत समितियों क्रमशः बालीचौकी, टूटू व कुपवी का गठन किया गया जिसके परिणामस्वरूप पंचायत समितियों की संख्या बढ़कर वर्तमान में 81 हो गई है। वर्तमान समय में जिला परिषदों की संख्या हिमाचल में कुल जिलों की संख्या के अनुरूप है।

1. राज्य के पंचायती राज अधिनियम को बनाना:

पंचायतों से संबंधित कानून को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 को निरस्त कर दिया गया तथा 23 अप्रैल, 1994 से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को लागू किया गया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के लागू होने के बाद से इसे निम्नलिखित विवरणों के अनुसार 16 बार संशोधित किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

पंचायती राज अधिनियम 1994 में समय-समय पर किये गए संशोधन का विवरण:—

क्र०सं०	विवरण	बिल संख्या	अधिनियम संख्या	अधिनियम बनाने या लागू होने की तिथि	संशोधित धाराएं
1	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997	1997 का बिल संख्या 3	1997 का अधिनियम संख्या 10	16.1.1997	3, 77, 88, 124, 167
2	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997	1997 का बिल संख्या 17	1998 का अधिनियम संख्या 1	24.5.2004	अतिरिक्त अध्याय VI-A(धारा 97-A से 97-1)
3	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000	2000 का बिल संख्या 12	2000 का अधिनियम संख्या 18	8.6.2000	2, 8, 15, 22, 78, 79, 80, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 101, 114, अतिरिक्त अध्याय 12.A व 121.B, 122, 145, अतिरिक्त अध्याय ग.A व धारा 160.A से 160-E व 163-A, 179, 180, 181, 182, 200.
4	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000	2000 का बिल संख्या 20	2001 का अधिनियम संख्या 4	15.12.2000	2, 5, धारा 7-A, 13, 110, 131, 138, 184, 185 का सन्निवेश
5	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001	2001 का बिल संख्या 14	2001 का अधिनियम संख्या 22	19.10.2001	8, 11, 23, 78, 118, 161, 174, 175, व 175-A-175-B, 181 तथा अनुसूची 1 का प्रतिस्थापन
6	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002	2002 का बिल संख्या 5	2002 का अधिनियम संख्या 10	8.5.2002	3, 71, 122, 140, 145.
7	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005	2005 का बिल संख्या 10	2005 का अधिनियम संख्या 17	30.5.2005	धारा 5 A का सन्निवेश, धारा 7, 8, 9, 15, 23, 78, 89, 99, 122, 129, 145, 146, 153 से 155 का संशोधन
8	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006	2006 का बिल संख्या 15	2006 का अधिनियम संख्या 20	12.10.2006	धारा 2 का संशोधन तथा धारा 11-A. का सन्निवेश
9	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2007	2007 का बिल संख्या 11	2007 का अधिनियम संख्या 15	22.09.2007	धारा 185 का संशोधन
10	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008	2008 का बिल संख्या 9	2008 का अधिनियम संख्या 10	13. 6.2008	धारा 2, 8, 78, 89, 99, 125 व 129
11	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008	2008 का बिल संख्या 116	2008 का अधिनियम संख्या 17	7.10.2008	धारा 2, 145, 163 व 181 का संशोधन

12	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010	2010 का बिल संख्या 7	2010 का अधिनियम संख्या 15	15.6.2010	धारा 2, 4, 5, 7, 7-A, 115, 118, 138 व 144 का संशोधन तथा धारा 181 का प्रतिस्थापन
13	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010	2010 का बिल संख्या 40	2010 का अधिनियम संख्या 9	28.1.2011	धारा 98 व 122 का संशोधन तथा धारा 100 व 118 का प्रतिस्थापन
14	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2014	2014 का बिल संख्या 12	2015 का अधिनियम संख्या 1	19.1.2015	धारा 2 का संशोधन तथा धारा 134 का प्रतिस्थापन
15	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015	2015 का बिल संख्या 09	2015 का अधिनियम संख्या 15	29.4.2015	धारा 5-ख का अन्तःस्थापन तथा धारा 2, 5, 7, 8, 11 क, 99, 122, 131, 144 का संशोधन
16	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016	2016 का बिल संख्या 05	2016 का अधिनियम संख्या 09	25.5.2016	धारा 5 का संशोधन

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना एवं निर्वाचन:

संविधान के प्रावधानों और हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की आवश्यकताओं के अनुसार, वर्ष 1995-96 के दौरान इस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र0सं0	चुनाव का वर्ष	शपथ का दिनांक	कार्यकाल/ अवधी	विवरण
1	दिसम्बर, 1995	23.01.1996	22.01.2001	विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी में प्रथम आम चुनाव मई 1996 में सम्पन्न करवाए गए।
2	दिसम्बर, 2000	23.01.2001	22.01.2006	विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी में आम चुनाव मई 2001 में सम्पन्न करवाए गए।
3	दिसम्बर, 2005	23.01.2006	22.01.2011	विकास खण्ड लाहौल तथा पांगी में आम चुनाव मई 2006 में सम्पन्न करवाए गए।
4	दिसम्बर, 2010 व जनवरी 2011	23.01.2011	22.01.2016	जिला लाहौल-स्पीति के उप-मंडल लाहौल की 28 ग्राम पंचायतों तथा जिला चम्बा के उप-मंडल पांगी की 16 ग्राम पंचायतों तथा दो पंचायत समितियों लाहौल और पांगी तथा जिला परिषद लाहौल-स्पीति के लिए चुनाव जून, 2011 में तथा जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव फरवरी, 2012 में आयोजित किए गए थे।

5	दिसम्बर, 2015 व जनवरी 2016	23.01.2016	22.01.2021	जिला लाहौल-स्पीति के उप-मंडल लाहौल की 28 ग्राम पंचायतों तथा जिला चम्बा के उप-मंडल पांगी की 16 ग्राम पंचायतों तथा दो पंचायत समितियों लाहौल और पांगी तथा जिला परिषद लाहौल-स्पीति के लिए चुनाव जून, 2016 में तथा जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव फरवरी, 2017 में आयोजित किए गए थे।
6	दिसम्बर, 2020 व जनवरी 2021	01.02.2021	31.01.2026	जिला लाहौल-स्पीति के उप-मंडल लाहौल की 32 ग्राम पंचायतों तथा जिला चम्बा के उप-मंडल पांगी की 19 ग्राम पंचायतों तथा दो पंचायत समितियों लाहौल और पांगी तथा जिला परिषद लाहौल-स्पीति के लिए चुनाव सितम्बर व अक्टूबर, 2021 में तथा जिला कुल्लू की 4 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव फरवरी, 2022 में आयोजित किए गए थे।

3. पंचायती राज विभिन्न अधिनियम तथा नियमों का विवरण:

पंचायती राज संस्थाओं को राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित निम्नलिखित पंचायती राज अधिनियम तथा नियमों द्वारा संचालित किया जाता है:-

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994
2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994
3. राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994
4. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997
5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002
6. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में कनिष्ठ आशुलिपिक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2009
7. हिमाचल प्रदेश पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2011
8. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2013.
9. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में पंचायत सहायक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2014
10. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में सहायक अभियन्ता की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2015.
11. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में कनिष्ठ आशुलिपिक की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2016.

12. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में पंचायत सचिव की सेवाओं की नियुक्ति और शर्तों) नियम, 2019
13. हि0प्र0 पंचायती राज(जिला परिषद् में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों)नियम, 2020
14. हि0प्र0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

4. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आरक्षण:

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों को तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों और अध्यक्षों के पदों पर पिछड़े वर्गों की श्रेणी के व्यक्तियों को भी आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97-डी के साथ पठित पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार भारत के संविधान की अनुसूची-ट (जनजातीय क्षेत्रों) में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी पदों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है।

वर्तमान कार्यकाल में पंचायतों में आरक्षण का विवरण निम्न है:

कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद		अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद		पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद		सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित पद	महिलाओं के लिए आरक्षित		आरक्षण का प्रतिशत		
	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला		योग	प्रतिशत	अ जा	अ ज जा	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रधान ग्राम पंचायत												
3615	439	479	131	143	111	133	1073	1828	50.57	25.39	7.58	6.75
सदस्य ग्राम पंचायत												
21403	1855	3682	504	928	0	0	7811	12423	58.04	25.87	6.69	0
अध्यक्ष पंचायत समिति												
81	6	13	3	5	1	5	21	44	54.32	23.46	9.88	7.41
सदस्य पंचायत समिति												
1696	197	237	64	68	51	67	501	873	51.47	25.59	7.78	6.96
अध्यक्ष जिलापरिषद												
12	1	2	1	1	0	1	2	6	50.00	25.00	16.67	8.33
सदस्य जिला परिषद												
249	29	34	10	13	8	11	68	126	50.60	25.30	9.24	7.63

5. हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज का ढांचा:

क: ग्राम सभा/उप ग्राम सभा:

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मूल आधार ग्राम सभा है, जिस पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, राज्य सरकार ने ग्राम सभा की संस्था को मजबूत करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। ग्राम सभा को ग्राम पंचायतों के कार्यों, योजनाओं और अन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए अपने सदस्यों में से सतर्कता समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य सतर्कता समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं है। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए विशेष बैठकों के अलावा हर साल चार आम बैठकें आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है। संबंधित जिला पंचायत अधिकारी जिले के भीतर ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम अधिसूचित करता है। पंचायतों के लेखों को विचार और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा की बैठकों में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, ऑडिट नोट और उनके जवाब भी ग्राम सभा की बैठकों में रखे जाने चाहिए। सरकार ने विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों का चयन करने का अधिकार भी ग्राम सभा को सौंपा है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार, ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड के लिए एक उप-ग्राम सभा का गठन किया जाएगा तथा वार्ड के क्षेत्र में रहने वाले ग्राम सभा के सभी सदस्य उप-ग्राम सभा के सदस्य होंगे। प्रत्येक उप-ग्राम सभा को प्रत्येक वर्ष दो आम बैठकें आयोजित करनी होंगी तथा ऐसी बैठकें आयोजित करना ग्राम पंचायत के सदस्य की जिम्मेदारी होगी। उप-ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो कार्यवाही को रिकॉर्ड भी करेगा। उप-ग्राम सभा अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है तथा ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को सिफारिशें कर सकती है। यह ग्राम सभा की आम बैठकों में इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को भी नामित करेगी तथा इन सदस्यों को इस प्रकार नामित किया जाएगा कि वार्ड के क्षेत्र में रहने वाले कुल परिवारों में से 50% नामित हो जाएं, बशर्ते कि नामांकन का आधा हिस्सा महिलाओं का हो। लेकिन यह नामांकन उप-ग्राम सभा के किसी भी सदस्य को ग्राम सभा की आम बैठक में भाग लेने से नहीं रोकेगा। ग्राम सभा की बैठक का एजेंडा बैठक की सूचना के साथ ग्राम सभा के सदस्यों को भेजा जाएगा। कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों के ग्राम स्तरीय पदाधिकारी उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेंगे, जिसके क्षेत्राधिकार में वे तैनात हैं। यदि ऐसे ग्राम स्तरीय पदाधिकारी बैठकों में भाग लेने में विफल रहते हैं, तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने नियंत्रण अधिकारी को मामले की सूचना देगी। वे रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को की गई कार्रवाई की जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत क्षेत्रों में शुरू की गई योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करेगी।

ख: ग्राम पंचायत:

ग्राम पंचायतों का गठन 1000 से 5000 तक की आबादी वाले गांव या गांवों के समूह के लिए किया जाता है। प्रशासनिक सुविधा, बड़ी आबादी, भौगोलिक, स्थलाकृतिक और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, 1000 से कम आबादी के लिए भी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो प्रधान और उप-प्रधान को छोड़कर 5 से 13 तक होती है। ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान और सदस्यों को पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाना आवश्यक है। ग्राम सभा क्षेत्र के एक हिस्से या पूरे का प्रतिनिधित्व करने वाला पंचायत समिति का सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत का सदस्य भी होता है और उसे वोट देने का अधिकार होता है।

ग: पंचायत समिति:

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती निकाय को पंचायत समिति कहा जाता है। यह संस्था आम तौर पर विकास खंडों के साथ सह-समाप्त होती है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा प्रत्येक 3500 जनसंख्या या उसके भाग के लिए एक सदस्य की दर से निर्धारित की जाती है, जो न्यूनतम 15 सदस्यों के अधीन है। खंड विकास अधिकारी को पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पंचायत निरीक्षक को पंचायत समिति का सचिव नियुक्त किया गया है। जिला परिषद का सदस्य, जो पंचायत समिति क्षेत्र के पूरे या हिस्से को शामिल करने वाले वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है, पंचायत समिति का सदस्य भी होता है।

घ: जिला परिषद:

यह पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नए कानून के लागू होने के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियमित होने के परिणामस्वरूप, वर्तमान में इस राज्य में 12 जिला परिषदें हैं। जिला परिषद के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 25000 जनसंख्या या उसके भाग के लिए एक सदस्य की दर से न्यूनतम 10 सदस्यों के अधीन निर्धारित की जाती है। लोकसभा के सदस्य, जिले के एक हिस्से या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सदस्य और राज्य सभा के सदस्य जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्ष भी जिला परिषद के सदस्य हैं। अतिरिक्त उपायुक्त/एडीएम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है, जबकि जिला पंचायत अधिकारी जिला परिषद का सचिव है।

6. जिला नियोजन समिति का गठन एवं पंचायतों के माध्यम से सहभागी योजना:-

जिला नियोजन समितियों का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है। अधिनियम की धारा 185 के प्रावधानों के तहत उपायुक्त संबंधित जिला नियोजन समिति का सचिव होता है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 185 के साथ संविधान के अनुच्छेद 243

जेड (डी) की आवश्यकता के अनुसार, राज्य सरकार ने सभी 12 जिलों की जिला नियोजन समितियों के सदस्यों के निर्धारण और मंत्रियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को डीपीसी के अध्यक्ष के रूप में शामिल करने के लिए 31 मार्च, 2023 को अधिसूचना जारी की है, जिसे 3 अप्रैल, 2023 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

7. अनुसूचित क्षेत्र में PESA प्रावधान:

राज्य में अनुसूची-V अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की स्थिति।

- जिला किन्नौर व लाहौल स्पिति का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा चम्बा जिला के दो विकास खण्ड नामतः पांगी व भरमौर अनुसूची-V के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।
- राज्य में अनुसूची -V के क्षेत्र में दो जिला परिषद् नामतः किन्नौर व लाहौल स्पिति तथा जिला चम्बा की जिला परिषद् का एक भाग, 7 पंचायत समितियां नामतः कल्पा, निचार, पूह, लाहौल, स्पिति, भरमौर एवं पांगी तथा 168 ग्राम पंचायतें गठित की गई हैं:-

District- Kinnaur:

S.No.	Name of Dev. Block	No. of GPs
1.	Kalpa	24
2	Nichar	22
3.	Pooh	27
	Total GPs	73

District- Lahaul- Spiti:

S.No.	Name of Dev. Block	No. of GPs
1.	Lahaul	32
2	Spiti	13
	Total	45

District- Chamba:

S.No.	Name of Dev. Block	No. of GPs
1.	Bharmour	31
2	Pangi	19
	Total	50

- 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश में अनुसूची-V क्षेत्र की जनसंख्या 1,36,475 है तथा जनजातीय परिवारों की संख्या 31032 है।
- PESA के प्रावधान के अनुसार अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से सम्बद्ध व्यक्तियों को सदस्यों के पदों पर आरक्षित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने अनुसूची -V क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय व्यक्तियों के लिए पंचायत के तीनों स्तर पर अध्यक्ष के पदों पर 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और कुल पदों में से 50% पदों को जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को आरक्षित किया गया है।
- Rules under PESA:- PESA के अन्तर्गत नियमों की अधिसूचना राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) नियम, 2011 अधिसूचना संख्या:पीसीएच-एचए(1)4/2006-111 दिनांक 26 मार्च, 2011 अनुसार तैयार किया गया जिसे 1

अप्रैल, 2011 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उक्त नियम को विभाग की वेबसाईट ***hppanchayat.nic.in*** पर देखा जा सकता है।

अध्याय-2

विभाग के प्रमुख कार्य:

- पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों का विभाजन व पुनर्गठन करना।
- पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों में समय-2 पर आवश्यक संशोधन करना।
- पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता/अनुदान स्वीकृत करना।
- पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण करना।
- वित्तीय अनियमितताओं व पंचायत पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत पाए जाने पर छानबीन करना।
- विभिन्न मदों की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना।
- पंचायती राज पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करवाना।
- पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का समाधान करना एवं समय-2 पर उनका मार्गदर्शन करना।
- पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट, निगरानी एवं नियन्त्रण रखना।
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिलवाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाना, इन नियमों अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- नवगठित ग्राम पंचायत की सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियों का विभाजन करवाना।
- ग्राम पंचायतों के लिए सामुदायिक भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान करना।

अध्याय-3

पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक ढांचा:

यह विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री के अधीन है तथा राज्य स्तर पर सचिव (पंचायत) इसके प्रमुख हैं। विभाग में राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का विवरण 31-3-2024 तक निम्न अनुसार है:-

श्रेणी	पद का नाम	सृजित/आबंटित पद	भरे गए पद	रिक्त पद
राजपत्रित (श्रेणी-i)	1. सचिव (आई0ए0एस0)	1	1	0
	2. निदेशक (आई0ए0एस0)	1	1	0
	3. संयुक्त सचिव/अतिरिक्त निदेशक (एच0ए0एस0)	1	1	0
	4. अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, (पंचायती राज)	1	1	0
	5.संयुक्त/उप निदेशक, (पंचायती राज)	1	1	0
	6.उपनिदेशक (विधि) / वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
	7. अधीक्षक ग्रेड-1	1	1	0
	8. निजी सचिव, विभागाध्यक्ष	1	1	0
	9 जिला पंचायत अधिकारी	12	7	5
	10 प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।	3	2	1
अराजपत्रित (श्रेणी-ii)	1 अधीक्षक ग्रेड-II	17	17	0
	2 सम्पादक/पंचायत सूचना अधिकारी	1	1	0
	3 जिला अंकेक्षण अधिकारी एवं प्रशिक्षक	22	18	4
	4 निजी सहायक	1	1	0
अराजपत्रित (श्रेणी-iii)	1 वरिष्ठ आशुलिपिक	1	0	1
	2 कनिष्ठ आशुलिपिक	1	0	1
	3. आशुटकक	1	1	0

	4 वरिष्ठ सहायक	22	13	9
	5 अंकेक्षक पंचायत	83	73	10
	6 पंचायत निरीक्षक	90	80	10
	7 उप निरीक्षक पंचायत	88	80	8
	8 कम्प्यूटर प्रोग्रामर	4	4	0
	9 लिपिक	39	18	21
	10 कनिष्ठ कार्यालय सहायक	33	19	14
	11 हॉस्टल वार्डन	3	3	0
	12 चालक	17	13	4
	13 कुक	6	4	2
	14 मसालची	3	3	0
अराजपत्रित (श्रेणी-iv)	1 यन्त्रचालक	1	0	1
	2 दफतरी	1	1	0
	3 जमादार	1	1	0
	4 चपड़ासी	65	43	22
	5 चौकीदार	17	9	8
	6 सफाईकर्ता	10	10	0
	कुल	549	428	121

अध्याय-4

पंचायतों के कार्य एवं शक्तियां

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शक्तियां तथा कार्य :

- कुछ कर्मचारियों, जैसे कि चपरासी, वैलिफ, पुलिस सिपाही, हवलदार, चौकीदार, सिचाई विभाग के गश्ती, वन रक्षक, पटवारी, टीका लगाने वाले, नहर निगरानी, ग्राम सेवक, आखेट रक्षक, पंचायत सचिव इत्यादि द्वारा अवचार के सम्बन्ध में जांच और रिपोर्ट करने की शक्तियां ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई हैं।
- ग्राम पंचायतों को, भारतीय दण्ड संहिता, टीका अधिनियम, 1880, पशु अतिचार अधिनियम, 1871, हिमाचल प्रदेश किशोर धूम्रपान निषेध अधिनियम, 1952, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867, तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई की शक्ति भी प्रदान की गई है।
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट के अनुमोदन की शक्ति प्रदान करने के साथ-साथ ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखों, गत वित्त वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट तथा गत अंकेक्षण पत्र के उतर यदि कोई हो पर विचार एवं उचित कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किये गये योजनाओं, कार्यक्रमों तथा बजट को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा यह भी अधिकृत किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं, परियोजनाओं तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संतुष्ट होने पर उन पर व्यय की गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र को जारी करें।
- ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों तथा अन्य गतिविधियों के निरीक्षण के लिए ग्राम सभा को सतर्कता समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया है इससे सम्बन्धित रिपोर्ट इसकी बैठक में रखी जाएगी तथा रिपोर्ट की एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को भेजी जाएगी।
- पंचायतों को तीनों स्तरों पर विकासात्मक कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत किया गया है कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, संपरीक्षा, संकर्म , कराधान एवं भत्ते) नियम, 2002 के परिशिष्ट 'घ' अनुसार तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता से ली जाएगी।
- ग्राम सभा की बैठकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष चार साधारण बैठके होगी। सम्बन्धित जिला के जिला पंचायत अधिकारी जिला की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा बैठक की तिथियों को अधिसूचित करेगा।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में उप ग्राम सभा गठित करने हेतु ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा क्षेत्र के उस वार्ड के सदस्य उप ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

- तीनों स्तरों पर पंचायतों को स्थाई समितियां गठित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं को, आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के लिए बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ऋण लेने के लिए अधिकृत किया गया है यदि परियोजना, उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक वित्तीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई हो, हालांकि ग्राम पंचायतों को उधार लेने के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुमति प्राप्त करना और राज्य सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- ग्राम पंचायतों को लोक सम्पति, जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिंचाई एवं आपूर्ति योजनाओं, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, पम्पों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य/पशुपालन/आयुर्वेदिक संस्थान भवनों के संरक्षण की शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा इस सम्बन्ध में उल्लंघन होने पर ग्राम पंचायतें 1000/- ₹0 तक की शास्ति अधिरोपित कर सकती है और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 10/-₹0 प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त शास्ति लगाने का भी प्रावधान है जो कि कुल मिला कर 5000/- ₹0 तक की हो सकती है।
- ग्राम पंचायतों को कर, फीस, दण्ड तथा सेस अधिरोपित करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- यह अनिवार्य किया गया कि कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व तथा कल्याण विभाग के ग्राम स्तर के कर्मचारी ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेंगे।

(ख) समय-समय पर कार्यकारी आदेशों द्वारा हस्तांतरित शक्तियां एवं कार्य:

प्रजातंत्र को तृणमूल स्तर पर सुदृढ़ करने तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलम्बी स्वशासन का निकाय बनाने हेतु राज्य सरकार ने 15 विभागों नामतः कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, शिक्षा, खाद्य एवं आपूर्ति, वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उद्यान, उद्योग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्य शक्तियां एवं दायित्व 31 जुलाई, 1996 को इन संस्थाओं को सौंपे गये हैं। यह व्यवस्था संविधान की 11वीं अनुसूचि के अन्तर्गत की गई है इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कार्यकारी आदेशों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निम्न शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है:-

- 1 ग्राम पंचायतों द्वारा सूक्ष्म स्तरीय योजना को बनाना।
- 2 सार्वजनिक उपयोगिता की संस्था के स्थान के चयन को निर्धारित करने की शक्तियां व ग्राम स्तर के कर्मचारियों के कार्य एवं उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां।
- 3 ग्राम स्तर की विभागीय समिति का पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गठित स्थाई समितियों में एकीकरण।
- 4 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।
- 5 पंचायती राज संस्थाओं को आयुर्वेदिक, एलोपैथिक तथा पशुपालन विभाग के डाक्टरों, स्कूल अध्यापकों, पटवारियों तथा वन रक्षकों की तैनाती स्थान पर उपस्थिति बारे रिपोर्ट करने की शक्तियां प्रदान की गई है।
- 6 जिला परिषद के अध्यक्षों को अपनी-2 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

- 7 ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर 1/- रू0 प्रति बोतल की दर से सैस एकत्रित करके एकत्रित राशि को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है और इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों विकासात्मक कार्यों के लिए करेंगी।
- 8 जिला परिषद को ग्रामीण विकास अभिकरण में सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों के प्रति, अनुबन्ध के आधार पर, सहायक अभियन्ता नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।
- 9 ग्राम स्तर पर कार्यरत कर्मचारी अर्थात् पंचायत चौकीदार, सिलाई अध्यापिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक, स्कूलों के जलवाहक, पैरा अध्यापक, जल रक्षक, इत्यादि की नियुक्ति का अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है तथा पंचायत सचिव अनुबन्ध की नियुक्ति जिला परिषद द्वारा की जाती है।
- 10 जिला परिषद को जिला स्तर पर तथा पंचायत समिति को खण्ड स्तर पर राजस्व सम्बन्धी कार्यों के निरीक्षण, भूमिहीन तथा आवासहीन व्यक्तियों की पहचान में सहायता करने, सरकारी भूमि के लिए नीति निर्धारित करने एवं ऐसी भूमि के बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे प्राधिकृत किया गया है।
- 11 खनिज पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने तथा किसी क्षेत्र को लीज पर देने से पूर्व ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधन:

1. सरकार से अनुदान
2. गृह कर
3. रेत, पत्थर, बजरी तथा स्लेट को निकालने तथा बाहर भेजने हेतु कर
4. ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री पर उपकर (1 रूपया प्रति बोतल)
5. भू-राजस्व
6. ब्याज से आय
7. दुकानदारों से तहबाजारी
8. सेवा शुल्क
9. अपनी परिसम्पति जैसे दुकान एवं बागीचे से आय

(ग) ग्राम पंचायतों द्वारा करों को अधिरोपित करना:—

जिला परिषद और पंचायत समिति कर, फीस आदि अधिरोपित नहीं कर सकती परन्तु ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करके तथा पूर्व प्रकाशन द्वारा करों को अधिरोपित कर सकती है।

(i) सम्पति कर:

ग्राम पंचायत ग्राम सभा क्षेत्र में प्रस्ताव पास करके तथा पूर्व प्रकाशन द्वारा ऐसी दरों तथा विहित रीति से आवासीय एवं व्यापारिक भवनों पर सम्पति कर लगा सकती है।

(ii) व्यवसाय कर:

सरकार के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत ग्राम सभा क्षेत्र में व्यक्ति के पेशे, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर (कृषि को छोड़कर) व्यवसाय कर लगा सकती है बशर्ते कि सभा क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्रीय शासन द्वारा किसी कानून के अधीन ऐसा कर न लगाया गया हो।

(iii) सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क:

यदि सरकार द्वारा ऐसा प्राधिकार दिया गया हो, तो सभा क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय दान और कब्जा सहित बन्धक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 क2) द्वारा अधिरोपित शुल्क पर, अधिभार के रूप में, सम्पत्ति के अन्तकरण पर सरकार द्वारा नियत ऐसी दर, पर शुल्क जो यथास्थिति प्रतिफल राशि सम्पत्ति के मूल्य या बन्धक द्वारा, प्रतिभूति राशि जो लिखित रूप में उपवर्जित है, दो प्रतिशत से अधिक न हो, ग्राम पंचायत लगा सकती है।

(iv) फीस:

ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, सभा क्षेत्र में निम्नलिखित फीस, उद्गृहित कर सकेगी।

- (क) मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी
- (ख) यथास्थिति, गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन यानों की पार्किंग के लिए सेवा फीस
- (ग) सभा क्षेत्र में पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस और
- (घ) पानी की दर, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है।

(V) भू-राजस्व:

ग्राम पंचायतों को भूमि स्वामियों/अधिकार धारकों से लम्बरदारों के माध्यम से अथवा जहां लम्बरदार उपलब्ध न हो, वहां स्वयं भू-राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया है तथा ग्राम पंचायतें एकत्रित भू-राजस्व का उपयोग अपने स्तर पर करेंगी।

(Vi) शराब शुल्क:

एक रुपये प्रति बोतल की दर से, ग्रामीण क्षेत्र में बेचे गए शराब पर शुल्क को एकत्रित करके ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्य करने के लिए स्थानान्तरित किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को मानदेय:-

निर्वाचित पदाधिकारियों को 01.04.2023 से देय मानदेय का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण	मानदेय
1	अध्यक्ष जिला परिषद	20000/-
2	उपाध्यक्ष जिला परिषद	15000/-
3	सदस्य जिला परिषद	6500/-

4	अध्यक्ष पंचायत समिति	9500/-
5	उपाध्यक्ष पंचायत समिति	7000/-
6	सदस्य पंचायत समिति	6000/-
7	प्रधान ग्राम पंचायत	6000/-
8	उप प्रधान ग्राम पंचायत	4000/-
9	सदस्य ग्राम पंचायत	मास में अधिकतम दो बैठकों के लिए 500/- रू० प्रति बैठक की दर से मानदेय प्रदान किया जाता है।

अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (3)20/95-III-दिनांक 09.05.2017 के अनुसार पंचायत पदाधिकारियों को निम्न दरों पर दैनिक भत्ते प्रदान किए जाएंगे:-

क्रम सं०	पंचायत पदाधिकारियों की श्रेणी	दैनिक भत्ते व यात्रा भत्ते की दर
1	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद	वास्तविक बस/ रेलगाड़ी किराया और दैनिक भत्ता 240/-रूपये प्रतिदिन
2	सदस्य जिला परिषद तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति	वास्तविक बस/ रेलगाड़ी किराया और दैनिक भत्ता 180/-रूपये प्रतिदिन
3	पंचायत समिति सदस्य, प्रधान तथा उप प्रधान ग्राम पंचायत	वास्तविक बस/ रेलगाड़ी किराया और दैनिक भत्ता 150/-रूपये प्रतिदिन
4	सदस्य ग्राम पंचायत	वास्तविक बस/ रेलगाड़ी किराया और दैनिक भत्ता 90/-रूपये प्रतिदिन

यात्रा तथा दैनिक भत्तों पर किये गए व्यय का वहन सम्बन्धित पंचायत द्वारा किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जवाबदेही तथा पारदर्शिता:

जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी, जवाबदेह बनाने तथा उनके दैनिक कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना तक पहुंच, प्रचार, जवाबदेही, जनता के साथ व्यवहार में तत्परता के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। पंचायत क्षेत्र का कोई भी मतदाता पंचायत के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके उसकी प्रति प्राप्त कर सकता है। लाभार्थियों की सूची तथा योजनाओं की सूची सहित स्थायी तथा परिवर्तनशील जानकारी तथा स्वीकृत राशि पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी है। इसके अलावा, किसी विशेष पंचायत में पंचायत सचिव की उपस्थिति का सत्यापन संबंधित प्रधान द्वारा किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी व प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग:

पंचायतों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला परिषद संवर्ग के अंतर्गत तकनीकी विंग की स्थापना की गई है। 31.03.2024 तक स्वीकृत, भरे हुए एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है: पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारियों का ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

S.No.	Name of the post	Pay Scale	Sanctioned posts	Filled up posts	Vacant posts
1.	Xen	Pay Matrix level-23 (83600-203100)	4	2	2
2.	Assistant Engineers	Pay Matrix level-18 (56100-177500)	33	28	5
3.	Block Engineers	18000/-PM	12	12	0
4.	Superintendent Grade-II	Pay Matrix level-12 (43000-136000)	1	0	1
5.	Senior Assistant	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	1	0	1
6.	Head Draftsman	Pay Matrix level-12 (43000-136000)	1	0	1
7.	Junior Engineers	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	238	173	65
8.	Design Engineers	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	17	5	12
9.	Draftsman	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	36	0	36
10.	Takniki Sahayak (Regular Scale)	Pay Matrix level-8 (29700-94100)	1205	968	237
11.	Junior Scale stenographer (Regular)	Pay Matrix level-7 (28900-91600)	12	12	0
12.	Steno Typist	Pay Matrix level-5 (21300-67800)	1	0	1
13.	Driver	Pay Matrix level-5 (21300-67800)	1	0	1
14.	Junior Accountant	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	12	12	0
15.	Data Entry Operator	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	15	15	0
16.	Panchayat Secretary	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	3412	2559	853
17.	Clerk	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	1	0	1
18.	Peon	Pay Matrix level-1 (18000-56900)	2	0	2
19.	Sewadar-cum-Chowkidar	Pay Matrix level-1 (18000-56900)	13	12	1
20.	Tailoring teachers (Daily Wage)	424/- daily	1643	1643	0
	Tailoring teachers (Contract)	8500/- PM	16	16	0

21	Panchayat Chowkidar (Daily Wage)	375/- Daily	33203	1550	2218
22	Panchayat Chowkidar (Part-Time)	7000/-PM		1435	

अध्याय-5 अंकेक्षण व निरीक्षण

अंकेक्षण:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा (1) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पंचायती राज विभाग में पंचायतों के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए एक लेखापरीक्षा एजेंसी होगी।

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की लेखापरीक्षा हर वर्ष की जाती है। पंचायत समितियों का अंकेक्षण जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण अंकेक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की परीक्षण लेखापरीक्षा जिला अंकेक्षण अधिकारी द्वारा की जाती है। उन ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की पुनः लेखापरीक्षा भी की जाती है, जहां विभाग के ध्यान में गबन के गंभीर मामले आते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला अंकेक्षण अधिकारी के 04 पद और अंकेक्षकों के 10 पद रिक्त थे। ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों का 1-4-2023 से 31-3-2024 तक किये गए अंकेक्षण व निरीक्षण का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-

Sr. No	Name of District	Total no of Panchayat Samitis	Panchayat Samitis Audited					Gram Panchayat Audited					
			Target for Deptt. Auditors	Audit conducted	Audit conducted online	Percentage of Manual Audit	Percentage of Audit online	Total no of Gram Panchayat	Target for Deptt. Auditors	Audit conducted	Audit conducted online	Percentage of Manual Audit	Percentage of Audit online
1	Bilaspur	4	3	3	4	100%	100%	176	103	51	176	49%	100%
2	Chamba	7	6	5	7	83%	100%	309	240	242	309	100%	100%
3	Hamirpur	6	6	6	6	100%	100%	248	248	154	248	62%	100%
4	Kangra	15	8	8	15	100%	100%	814	679	679	814	100%	100%
5	Kinnaur	3	7	4	3	57%	100%	73	73	3	73	4%	100%
6	Kullu	5	4	3	5	75%	100%	235	205	49	235	23%	100%
7	Lahaul Spiti	2	1	1	2	100%	100%	45	45	37	45	82%	100%
8	Mandi	11	5	0	11	0%	100%	559	411	183	559	44%	100%
9	Shimla	12	5	3	12	60%	100%	412	387	122	412	31%	100%
10	Sirmaur	6	3	0	6	0%	100%	259	229	89	259	38%	100%
11	Solan	5	5	2	5	40%	100%	240	210	55	240	26%	100%
12	Una	5	3	3	5	100%	100%	245	240	156	245	65%	100%
	Total	81	56	38	81	67.85%	100%	3615	3070	1820	3615	59%	100%

निरीक्षण:

प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायतों का निरीक्षण पंचायत निरीक्षकों तथा उप-निरीक्षकों द्वारा तथा पंचायत समितियों का निरीक्षण जिला पंचायत अधिकारियों या विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है। 1-4-2023 से 31-3-2024 तक निरीक्षण का विवरण निम्नानुसार है:-

Sr no.	Name of District	Total no. of Gram Panchayats	Total no. of Gram Panchayats Inspected	Balance	Percentage
1	Bilaspur	176	126	50	71.59%
2	Chamba	309	122	187	39.48%
3	Hamirpur	248	143	105	57.66%
4	Kangra	814	534	280	65.60%
5	Kinnaur	73	17	56	23.28%
6	Kullu	235	28	207	11.91%
7	LahaulSpiti	45	1	44	2.22%
8	Mandi	559	277	282	49.55%
9	Shimla	412	140	272	33.98%
10	Sirmaur	259	111	148	42.85%
11	Solan	240	124	116	51.66%
12	Una	245	119	126	48.57%
	Total	3615	1742	1873	48.18%

अध्याय-6

प्रशिक्षण

2023-23 में सभी जिलों तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण की स्थिति:

विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण गतिविधियाँ संचालित करता है।

1. मशोबरा, थुनाग और बैजनाथ में तीन पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं।
2. जिला/जिला परिषद स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र।
3. जिला/जिला परिषद स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी द्वारा
4. विकास खंड /पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारियों द्वारा।

वर्ष 2023-24 में दिए गए विभिन्न विषयों पर प्रदान किए गए प्रशिक्षणों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

Institute wise Activity Tracker Report (2023-2024) of Himachal Pradesh as per TMP Portal				
S.No.	Organization Name	Total No. of Training Scheduled	Total No. of Training Conducted	Total No. of Participants Trained
1	SIRD	11	83	2454
2	Panchayat Raj Training Institute Mashobra(Craigneno) Shimla(STATE- HIMACHAL PRADESH)	0	82	4089
3	Panchayati Raj Training Institute Baijnath Kangra(STATE- HIMACHAL PRADESH)	0	55	2107
4	Panchayati Raj Training Institute Thunag Mandi(STATE- HIMACHAL PRADESH)	1	83	2666
5	DPRC(District Panchayat - CHAMBA)	1	359	11061
6	DPRC(District Panchayat - KULLU)	28	146	4151
7	DPRC(District Panchayat - BILASPUR)	52	157	5691
8	DPRC(District Panchayat - HAMIRPUR)	48	180	7721
9	DPRC(District Panchayat - KANGRA)	117	623	20206
10	DPRC(District Panchayat - KINNAUR)	0	59	1886
11	DPRC(District Panchayat - LAHAUL AND SPITI)	6	11	244
12	DPRC(District Panchayat - MANDI)	80	364	11939
13	DPRC(District Panchayat - SHIMLA)	78	133	6339
14	DPRC(District Panchayat - SOLAN)	13	108	3254
15	DPRC(District Panchayat - UNA)	29	178	6459
16	DPRC(District Panchayat - SIRMAUR)	1	263	7870
Total		465	2884	98137

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए, "एसआईआरडीपीआर" अर्थात राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज सोसायटी नामक एक सोसायटी की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय क्रैगनैनो (मशोबरा), शिमला-7 में है।

स्वीकृत पद:

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा, बैजनाथ तथा थुनाग (जिला मण्डी) में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	पद नाम	प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा	प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ	प्रशिक्षण संस्थान थुनाग
01	प्राचार्य	1	1	1
02	प्रशिक्षक	3	3	3
03	अधीक्षक ग्रेड-11	1	1	1
04	कम्प्युटर प्रोग्रामर	1	1	1
05	लिपिक	2	2	2
06	कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सू0 प्रौ0)	1	1	1
07	होस्टल वार्डन	1	1	1
08	रसोईया	2	2	2
09	चालक	1	0	1
10	मसालची	1	0	2
11	सेवादार	3	3	3
12	चौकीदार	4	2	2
13	सफाईकर्ता (मृत संवर्ग)	3	1	2
कुल पद		24	18	22

अध्याय-7

पंचायत भवन

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भोजन और आवास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति जिलों में पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। शिमला में एक राज्य स्तरीय पंचायत भवन स्थित है, जो राज्य स्तरीय शासी निकाय के नियंत्रण में है। एक कार्यकारी समिति भी गठित की गई है, जो शिमला पंचायत भवन की आय और व्यय को मंजूरी देती है। यह पंचायत भवन के सुचारू संचालन के लिए कार्य योजना को भी मंजूरी देती है। शासी निकाय की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती है। पंचायत भवन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपनियम भी बनाए गए हैं।

जिला परिषद भवन:

73वें संविधान संशोधन और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के आलोक में, राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई और जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1996 में पहली बार जिला परिषदें अस्तित्व में आईं। 31.03.2024 तक शिमला और किन्नौर को छोड़कर सभी जिला परिषदों के पास अपने स्वयं के जिला परिषद भवन हैं। जिला परिषद शिमला का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और किन्नौर के लिए जिला परिषद भवन के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है।

अध्याय-8

ई-पंचायत परियोजना

पंचायती राज मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के प्रयास कर रहा है। मंत्रालय e.panchayat application प्रदान करके पंचायतों द्वारा आईसीटी के उपयोग में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने में उत्साही रहा है।

e.panchayat application(e.gramswaraj) के उपयोग की निगरानी निम्नानुसार है :-

1. Planning Module:- (जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा GPDP बनाया जाता है)
2. Progress Reporting Module:- (निष्पादन सॉफ्टवेयर जिसमें कार्य की प्रगति दर्ज की गई है)
3. m-Action:- (इस सॉफ्टवेयर में कार्य की जियो-टैगिंग दर्ज की गई है)
4. Accounting module:- (जिसमें ग्राम पंचायतों के खातों का रखरखाव किया गया है)
5. Asset Directory Module:- (जिसमें ग्राम पंचायतकी सम्पत्ति का विवरण दर्ज किया गया है)
6. Area profiler Module:- (इस सॉफ्टवेयर में ग्राम पंचायत को पंचायत की विस्तृत जानकारी दर्ज की गई है अर्थात् सदस्य विवरण, समिति विवरण, सामान्य प्रोफाइल, रोजगार विवरण आदि)
7. Local government Directory:- (यह सॉफ्टवेयर भूमि क्षेत्र/राजस्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की पूरी निर्देशिका बनाए रखता है)

LGD का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के विभागों को नवगठित पंचायतों/स्थानीय निकायों के साथ निर्देशिका को अद्यतन करने, पंचायतों में पुनर्गठन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन आदि की सुविधा प्रदान करना और सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में समान जानकारी प्रदान करना है।

LGD की मुख्य विशेषताएं :-

प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए अद्वितीय कोड का निर्माण-प्रत्येक स्थानीय निकाय को एक अद्वितीय कोड सौंपा गया है जिसमें स्थानीय निकायों का रखरखाव और गठित भूमि क्षेत्र संस्थाओं के साथ इसका मानचित्रण, पूर्व के लिए, गांवों के साथ ग्राम पंचायत मैपिंग का कार्य किया जाता है।

सरकार ने प्रत्येक संशोधन को इसमें अपलोड करना अनिवार्य किया है तथा LGD में प्रकाशित डेटा प्रामाणिक है। ऐतिहासिक डेटा का रखरखाव- जब LGD में संशोधन होते हैं, तो पुराने मान/डेटा संग्रहीत किए जाते हैं।

इसमें राज्य विशिष्ट स्थानीय शासन व्यवस्था को बनाए रखने का प्रावधान है तथा जनगणना 2011 के कोड का अनुपालन किया गया है।

राज्य विशिष्ट मानक कोड के साथ एकीकृत करने की सुविधा- यदि कोई राज्य, राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लिए मानक कोड का पालन कर रहा है, तो उसी कोड को LGD कोड से जोड़ा जा सकता है।

पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू की गई अन्य ऑनलाइन सेवाएं:

ऑनलाइन ई-परिवार रजिस्टर:

इस सेवा का उद्देश्य पात्र आवेदक को परिवार रजिस्टर की प्रति प्रदान करना है। आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.hp.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह सेवा डिजिटल लॉकर से भी जुड़ी हुई है।

विवाह प्रमाण पत्र:

विवाह प्रमाणपत्र विवाह के पंजीकरण का प्रमाण होता है। विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब आपको यह साबित करने की आवश्यकता होती है कि आप किसी से कानूनी रूप से विवाहित हैं, जैसे पासपोर्ट प्राप्त करना, अपना पहला नाम बदलना आदि। आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.hp.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

जन्म प्रमाणपत्र:

जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला से लाभ उठाने के लिए किसी के लिए भी संभव बनाता है। आवेदक ई-जिला पोर्टल (edistrict.hp.gov.in) या नागरिक पंजीकरण प्रणाली (crsorgi.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाणपत्र:

मृत्यु प्रमाण पत्र मृत व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण है। आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.hp.gov.in) या नागरिक पंजीकरण प्रणाली (crsorgi.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2020 और 2021 के साथ ई-पंचायत पुरस्कार के लिए दो बार आवेदन किया और पूरे देश में 2020 में प्रथम पुरस्कार, वित्त वर्ष 2021 में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया। पंचायतीराज मंत्रालय जमीनी स्तर की स्थानीय स्व-सरकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है। आशा है कि यह मान्यता राज्य में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं पदाधिकारियों को पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए ई-गवर्नेंस गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

अध्याय-9

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) 90:10 के अनुपात में केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित और मजबूत करना है, ताकि वे स्थानीय विकास आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकें, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाली भागीदारी योजनाएं तैयार कर सकें, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान को साकार करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का कुशल और इष्टतम उपयोग कर सकें। वर्ष 2024-25 के लिए 100.42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और पहली किस्त 30.23 करोड़ रुपये (केंद्र-राज्य) प्राप्त हो गई है।
- ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से वीसी सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-24 में धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2024 में कुल 55000 निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- हमीरपुर जिले में आर्थिक विकास और आजीविका सृजन परियोजना हरेटा, काम्याना (शिमला) और अंदरोली (ऊना) की ग्राम पंचायत में स्थापित की गई है। वर्ष 2024 में, आर.जी.एस.ए. योजना के तहत कुल ₹5.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं (हरेटा और काम्याना परियोजनाओं के लिए ₹2.00 करोड़ और अंदरोली परियोजना के लिए ₹1.00 करोड़)।
- 1557 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत भवन के साथ सह-स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है, जिनमें से 1101 सीएससी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
- वर्ष 2024 में 669 कॉमन सर्विस सेंटरों में को-लोकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन 669 ग्राम पंचायतों में विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई) नियुक्त किए गए हैं।
- आर.जी.एस.ए. योजना के तहत 08 पंचायत लर्निंग सेंटरों की स्थापना पूरी करने के बाद इन सेंटरों को प्रशिक्षण और अन्य अनुकरणीय गतिविधियों के लिए क्रियाशील बना दिया गया है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेसा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने और निगरानी करने के लिए सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया है। इस राज्य स्तरीय समन्वय समिति में उद्योग, जनजातीय विकास, वन, राजस्व, जल शक्ति विभाग और आबकारी विभागों सहित पेसा अधिनियम से संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
- प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए 02 जिला पंचायत संसाधन केंद्र, 01 मंडी में और दूसरा बिलासपुर में क्रियाशील बनाया गया है। जिला शिमला में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कांगड़ा और सिरमौर जिलों में काम पूरा होने वाला है।

अध्याय—10

सराहनीय कार्य/उपलब्धियां

1. हिंदी पुरस्कार:- पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ निदेशालय में भी अधिकांश सरकारी काम हिंदी में किया जाता है और विभाग को हर साल हिंदी में काम करने के लिए पुरस्कार मिलता है। वर्ष 2023-24 में विभाग को 3 पुरस्कार मिले।
2. सामान्य प्रशिक्षण कैलेंडर:- पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के सभी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के लिए सामान्य कैलेंडर तैयार किया गया है। पीआरटीआई और एसआईआरडी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पूरे वित्तीय वर्ष के लिए समन्वित और पूर्व नियोजित प्रशिक्षण गतिविधियों का लाभ मिला है।

अध्याय-11

अनुदान

वित्तीय वर्ष 2023-24के लिए शीर्ष वार पंचायती राज संस्थाओं को बजट प्रावधान:

(Rs.in Lakh)

D.No.H.O.A	SOE41-Salary	42 Non-Salary	44-Capital Assets	Other Charges	Total
2515-00-101-02 SOON-NP-Assistance to PRIs	--	44.00	38.01	--	82.01
2515-00-196-04 SOON-NP-SFC	17851.24	411.12	173.30	--	18435.66
2515-00-196-06 SOON-NP-15 th FC	--	--	1882.37	--	1882.37
2515-00-196-07 SOON-NP-15 th FC	--	--	2823.57	--	2823.57
2515-00-197-04 SOON-NP-SFC	823.50	78.86	86.15	--	988.51
2515-00-197-06 SOON-NP-15 th FC	--	--	1850.22	--	1850.22
2515-00-197-07 SOON-NP-15 th FC	--	--	2775.33	--	2775.33
2515-00-198-04 SOON-SFC	11969.81	1037.35	2156.98	--	15164.14
2515-00-198-05 SOON-15 th FC	--	--	8634.35	--	8634.35
2515-00-198-06 SOON-15 th FC	--	--	12951.55	--	12951.55
D.No.31	SOE41-Salary	42 Non-Salary	44-Capital Assets	Other Charges	Total
2515-00-796-01 SOON-P-Assistance to PRI	1182.72	60.00	90.00	--	1332.72
2515-00-796-20-SOON-15 th FC	--	--	109.63	--	109.63
2515-00-796-21-SOON-15 th FC	--	--	164.44	--	164.44
2515-00-796-22-SOON-15 th FC	--	--	141.78	--	141.78
2515-00-796-23-SOON-15 th FC	--	--	212.67	--	212.67
2515-00-796-24-SOON-15 th FC	--	--	661.64	--	661.64
2515-00-796-25-SOON-15 th FC	--	--	992.45	--	992.45
D.No.32	SOE41-Salary	42 Non-Salary	44-Capital Assets	Other Charges	Total
2515-00-789-21-SOON-V-N-	6010.87	138.43	58.35		6207.65
2515-00-789-22-SOON-V-N-	240.14	26.55	29.01		295.7
2515-00-789-23-SOON-V-N-	3252.75	349.30	726.30		4328.35

Construction of Panchayat Ghars in Newly created Gram Panchayats.

Sr.No.	Head of Account with scheme	Budget Allocation
1	20-4515-00-101-01-SOON-37-N-V-Major Work	1185.00
2	31-4515-00-796-01-SOON-37-N-V-Major Work	162.00
3	32-4515-00-789-01-SOON-37-P-V-Major Work	453.00
TOTAL		1800.00

RASHTRIYA GRAM SWARAJ ABHIYAN

The GIA details under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan for the year 2023-24 in respect of Panchayati Raj Department

(Rs.in Lakh)

D.No.	Centre Share	State Share	Total
20-RGSA	3903.50	434.22	4337.72
31-RGSA	174.00	60.00	234.00
32-RGSA	2161.00	240.11	2401.11

अध्याय-12

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के लिए निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है:-

राज्य स्तरीय:

क्र०सं०	वर्तमान पद नाम सहित अधिकारी का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अतिरिक्त निदेशक	अपील प्राधिकारी
2	अधीक्षक ग्रेड-I	जन सूचना अधिकारी
3	अधीक्षक ग्रेड-II	सहायक जन सूचना अधिकारी

जिला स्तरीय:

जिला शिमला:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	0177-2657028
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	0177-2657028
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	0177-2657028

जिला सोलन:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01792-223705
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01792-223756
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01792-223756

जिला सिरमौर स्थित नाहन:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01792-222410
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01792-222272
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01792-222272

जिला किन्नौर:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01786-222290
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01786-222290
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01786-222290

जिला कुल्लू:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01902-222226
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01902-222306
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01902-222306

जिला लाहौल –स्पीति स्थित केलांग:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01900-222457
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01900-222457
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01900-222457

जिला मण्डी:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01905-225205
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01905-223025
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01905-223025

जिला हमीरपुर:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01972-224324
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01972-222407
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक	01972-222407

	कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	
--	------------------------------	--

जिला बिलासपुर:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01978-224763
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01978-223871
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01978-223871

जिला कांगडा स्थित धर्मशाला:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01892-223321
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01892-223209
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01892-223209

जिला चम्बा:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01899-222540
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01899-222204
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01899-222204

जिला ऊना:

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम	दूरभाष / फ़ैक्स नं०
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	01975-225188
2	जन सूचना अधिकारी	अधीक्षक ग्रेड-II कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01975-222607
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी	01975-222607

समिति स्तर पर

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	कार्यकारी अधिकारी एंवम खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति	अपील प्राधिकारी
2	निरीक्षक (पंचायत)	जन सूचना अधिकारी

3	उप निरीक्षक (पंचायत)	सहायक जन सूचना अधिकारी
---	----------------------	------------------------

ग्राम पंचायत स्तर पर

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	खण्ड विकास अधिकारी	अपील प्राधिकारी
2	सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव	जन सूचना अधिकारी

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान बैजनाथ, मशोबरा और थुनाग

क्र०सं०	वर्तमान पद नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	दूरभाष (मशोबरा)	दूरभाष (बैजनाथ)	दूरभाष (थुनाग)
1	प्राचार्य	अपील प्राधिकारी	95177-2740227	951894-263041	01907-25758
2	वरिष्ठ प्रशिक्षक	जन सूचना अधिकारी	95177-2740227	951894-263041	01907-25758
3	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	सहायक जन सूचना अधिकारी	95177-2740227	951894-263041	01907-25758

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला किन्नौर

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	परियोजना अधिकारी, जन जातीय विकास कार्यक्रम एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् किन्नौर.
2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी एंव सचिव, जिला परिषद् किन्नौर.
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी किन्नौर.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला कुल्लू

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	वर्तमान पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् कुल्लू.
2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी एंव सचिव, जिला परिषद् कुल्लू.
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी कुल्लू.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला लाहौल स्पीति स्थित केलांग

क्र०सं०	अपील प्राधिकारी का नाम / लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी	पद एंव कार्यालय पता	क्षेत्राधिकार (स्थान/विषय)

1.	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी	पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तर पर निरीक्षण
2.	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी	पंचायती राज संस्थाओं में जिला स्तर पर अंकेक्षण का कार्य संचालन करना

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला सिरमौर, नाहन

क्र०सं०	पद का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अपील प्राधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद् सिरमौर
2	अधीक्षक, जिला पंचायत अधिकारी-सिरमौर स्थित नाहन	जन सूचना अधिकारी
3	निजी सहायक, जिला परिषद्	सहायक जन सूचना अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला मण्डी

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्
2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद्
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला सोलन

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिलाधीश -कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सोलन
2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद् सोलन
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी सोलन

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला शिमला

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिला उपायुक्त अधिकारी, जिला परिषद् शिमला.
2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद् शिमला
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी शिमला.

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला हमीरपुर

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् हमीरपुर

2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद् हमीरपुर
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी हमीरपुर

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला चम्बा

क्र०सं०	पद का नाम	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम
1	अतिरिक्त जिला दण्ड अधिकारी, एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चम्बा	अपील प्राधिकारी .
2	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद् चम्बा	जन सूचना अधिकारी .
3	सहायक जन सूचना अधिकारी जिला अंकेक्षण अधिकारी चम्बा	सहायक जन सूचना अधिकारी

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला ऊना

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् ऊना
2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद् ऊना
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी ऊना

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला बिलासपुर

क्र०सं०	पद का नाम	प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	जिला पंचायत अधिकारी	अपील प्राधिकारी	जिला परिषद् बिलासपुर
2	जिला अंकेक्षण अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	जिला परिषद् बिलासपुर
3	अधीक्षक	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला परिषद्, बिलासपुर

सचिव कार्यालय, जिला परिषद् जिला कांगडा स्थित धर्मशाला

क्र०सं०	सूचना का अधिकार, 2005 के अन्तर्गत पद नाम	पद का नाम
1	अपील प्राधिकारी	अतिरिक्त उपायुक्त एंवम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् कांगडा
2	जन सूचना अधिकारी	जिला पंचायत अधिकारी-सचिव, जिला परिषद् कांगडा
3	सहायक जन सूचना अधिकारी	जिला अंकेक्षण अधिकारी कांगडा

पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचना www.hppanchayat.nic.in में उपलब्ध है।



**ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT
DEPARTMENT OF PANCHAYATI RAJ
(1-4-2023 to 31-3-2024)**



**Directorate of Panchayati Raj, Block No. 27,
SDA Complex, Kasumpti,
Shimla-171009**

CHAPTER-1

INTRODUCTION

of

PANCHAYTI RAJ SYSTEM

in

HIMACHAL PRADESH

Panchayati Raj system in Himachal Pradesh was established under the provisions of the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act, 1952 in the year 1954. Only 280 Gram Panchayats existed prior to the enactment of the Himachal Pradesh Panchayat Raj Act, 1952. However, after the enactment of the said Act, 466 Gram Panchayats were established in the year 1954 and the number of Gram Panchayats was increased to 638 during the year 1962. On 1st November, 1966, the hilly areas of Punjab were merged in the State and consequently the number of Gram Panchayats rose to 1695. In the merged areas, a three tier Panchayati Raj system was in existence under the provisions of the Punjab Panchayat Samiti and Zila Parishad Act, whereas two-tier system was prevalent in the then State of Himachal Pradesh. With a view to bring uniformity in the Panchayati Raj system of the old and the newly merged areas, the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 was enacted on 15th November, 1970 and the two tier Panchayati Raj system was established throughout the State. Besides this the Nayaya Panchayats were also in existence in this State for discharging judicial functions. During the year 1977 the Nayaya Panchayats were abolished and the judicial functions were transferred to the Gram Panchayats. After the enactment of the said Act in the year 1970 the existing Gram Sabhas were reorganized /bifurcated from time to time and new Gram Sabhas/Gram Panchayats were established.

The number of Gram Panchayats since 1952 is as under:

Sr. No	Year	No. of Gram Panchayats
1	1952	280
2	1954	466
3	1962	638
4	1966	1695
5	1972	2035

6	1978	2357
7	1985	2597
8	1991	2757
9	1995	2922
10	2000	3037
11	2005	3243
12	2010	3243
13	2015	3226
14	2020	3615

In the year 2020, 03 new Panchayat Samitis namely Bali Chowki, Tutu and Kupvi have been created before the general elections of PRIs, due to this total number of Panchayat Samitis have been risen to 81 at present.

The number of Zila Parishad in the state are equivalent to the number of District, i.e. twelve (12), at present.

1. Enactment of State PR Act:

With a view to bring law relating to the Panchayats in conformity with the provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act, the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 was repealed and the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 was enacted w.e.f. 23rd April, 1994. Since the enactment of the HPPR Act, 1994, it has been amended 16 times as per the following details: -

Details of Amendments brought in the HPPR Act, 1994 from time to time since its enactment on 23rd April, 1994.

SN.	Title	Bill No.	Act No.	Date of enactment or date from which it is in force	Sections amended.
1.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 1997.	Bill No. 3 of 1997	Act No. 10 of 1997	16.1.1997	3, 77, 88, 124, 167
2.	The H.P. Panchayati Raj (2 nd Amendment) Act, 1997.	Bill No. 17 of 1997	Act No. 1 of 1998	24.5.2004	1, Addition of Chapter VI- A (Section 97-A to 97-I.
3.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2000.	Bill No. 12 of 2000	Act No. 18 of 2000	8.6.2000	2, 8, 15, 22, 78, 79, 80, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 101, 114, addition of sections 12-A & 121-B, 122, 145, addition of Chapter X-A &

					sections 160-A to 160-E and 163-A, 179, 180, 181, 182, 200.
4.	The H.P. Panchayati Raj (2 nd Amendment) Act, 2000.	Bill No. 20 of 2000	Act No. 4 of 2001.	15.12.2000	2, 5, insertion of sec. 7-A, 13, 110, 131, 138, 184, 185.
5.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2001.	Bill No. 14 of 2001	Act No. 22 of 2001	19.10.2001	8, 11, 23, 78, 118, 161, 174, 175, insertion of 175-A & 175-B, 181, substitution of Schedule-I.
6.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2002.	Bill No. 5 of 2002	Act No. 10 of 2002.	8.5.2002	3, 71, 122, 140, 145.
7.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2005.	Bill No. 10 of 2005	Act No. 17 of 2005.	30.5.2005	Insertion of section 5-A, Amendment of sections 7, 8, 9, 15, 23, 78, 89, 99, 122, 129, 145, 146, 153 to 155.
8.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2006.	Bill No. 15 of 2006	Act No. 20 of 2006.	12.10.2006	Amendment of section 2 and insertion of section 11-A.
9.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2007.	Bill No. 11 of 2007	Act No. 15 of 2007.	22.09.2007	Amendment of section 185.
10.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2008.	Bill No. 9 of 2008	Act No. 10 of 2008.	13. 6.2008	Amendment of sections 2, 8, 78, 89, 99, 125, and 129.
11.	The H.P. Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2008.	Bill No. 16 of 2008	Act No. 17 of 2008.	7.10.2008	Amendment of sections 2, 145, 163 and 181.
12.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2010.	Bill No. 7 of 2010	Act No. 15 of 2010.	15.6.2010	Amendment of sections 2, 4, 5, 7, 7-A 115, 118, 138 and 144, and substitution of section 181.
13.	The H.P. Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2010.	Bill No. 40 of 2010	Act No. 9 of 2011.	28.1.2011	Amendment of sections 98 & 122 Substitution of sections 100 and 118.
14.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2014.	Bill No. 12 of 2014	Act No. 1 of 2015.	19.1.2015	Amendment of sections 2 & Substitution of sections 134.
15.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2015.	Bill No. 09 of 2015	Act No. 15 of 2015.	29.4.2015	Substitution of sections 5-B & Amendment of sections 2, 5, 7, 8, 11-A, 99, 122, 131, 144.
16.	The H.P. Panchayati Raj (Amendment) Act, 2016	Bill No. 05 of 2016	Act No. 09 of 2016.	25.5.2016	Amendment of Section 5

2. Elections and establishment of three tier Panchayati Raj System:

As per the requirements of the provisions of the Constitution and the State Panchayati Raj Act, 1994, the three tier Panchayati Raj system was established in this State during the year 1995-96. The detail of the elections to the PRIs is as follows :-

Sr.No.	Election held in the year	Date of oath	Term upto	Remarks
1	December, 1995	23.01.1996	22.01.2001	In Development Block Lahaul and Development Block Pangi the first general elections were held during May, 1996
2	December, 2000	23.01.2001	22.01.2006	In Development Block Lahaul and Development Block Pangi the general elections were held during May, 2001
3	December, 2005	23.01.2006	22.01.2011	In Development Block Lahaul and Development Block Pangi

				the general elections were held during May, 2006
4	Dec.2010 and 1 st January 2011	23.01.2011	22.01.2016	Election for the 48 Gram Panchayats i.e. 28 Gram Panchayats of Sub-Divisions Lahaul of District Lahaul-Spiti and 16 Gram Panchayats of Sub-Division Pangi of District Chamba and two Panchayat Samitis namely Lahaul and Pangi and Zila Parishad Lahaul-Spiti were held in June 2011 and for 4 GPs of district Kullu held in Feb. 2012.
5	December-2015 and January 2016	23.01.2016	22.01.2021	Elections for the 48 Gram Panchayats i.e. 28 Gram Panchayats of Sub-Division Lahaul of District Lahaul-Spiti and 16 Gram Panchayats of Sub-Division Pangi of District Chamba and two Panchayat Samitis namely Lahaul and Pangi and Zila Parishad Lahaul Spiti were held in June 2016 and for 4 Gram Panchayts of District Kullu held in February 2017.
	December-2020 and January 2021	01.02.2021	31.01.2026	32 Gram Panchayats of Sub-Division of Lahaul Spiti and 19 Gram Panchayats of Sub Division of Pangi of District Chamba, 02 Panchayat Samitis namely Lahaul and Pangi and Zila Parishad Lahaul Spiti were held in September/October 2021 and 4 Gram Panchayts of District Kullu held in February 2022.

3. Details of various laws enacted:

The detail of various laws enacted by the Panchayati Raj Department of the State Government is as follows: -

1. The Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.
2. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994.
3. The State Election Commissioner (Condition of Service) Rules, 1994.
4. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997.
5. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finance, Budget, Accounts, Audit, Works and Allowances) Rules, 2002.
6. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Services of Junior Scale Stenographers in ZilaParishads) Rules, 2009.
7. The Himachal Pradesh Panchayat (extension to the scheduled areas) Rules, 2011.
8. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Services of Junior Scale Engineer in ZilaParishad) Rules, 2013.
9. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of PanchayatSahayaks in ZilaParishad) Rules, 2014.
10. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Services of Assistant Engineer in ZilaParishad) Rules, 2015.
11. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Services of Junior Scale Stenographers in ZilaParishads) Rules, 2016.
12. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of services of Panchayat Secretary in Zila Parishad) Rules, 2019.
13. The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of services of Technical Assistant in Zila Parishad) Rules, 2020.
14. The Himachal Pradesh Service Guarantee Act. 2011.

4. Reservation for office bearers of PRIs:

As per the provisions of the Constitution, reservation is being provided against seats of members and offices of Chairpersons of PRIs at all the three levels to the persons belonging to the categories of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women. Reservation is also being provided to the persons belonging to the category of Backward Classes in the offices of Pradhan of Gram Panchayats, Members and Chairpersons of Panchayat Samitis and Zila Parishads. All the offices of Chairpersons of PRIs in Schedule-V of the Constitution of India (tribal areas) have been reserved for the Scheduled Tribes as per the requirement of the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 read with section 97-D of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994

The details of reservation made for the existing term of Panchayats are as under:

Total seats	Seats reserved for Scheduled Castes		Seats reserved for Scheduled Tribes		Seats reserved for Backward Classes		Seats reserved for General Women	reserved for Women		Percentage for reservation		
	General	Women	General	Women	General	Women		Total	Percentage	SC	ST	BC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>Pradhan Gram Panchavat</u>												
3615	439	479	131	143	111	133	1073	1828	50.57	25.39	7.58	6.75
<u>Member Gram Panchavat</u>												
21403	1855	3682	504	928	0	0	7811	12423	58.04	25.87	6.69	0
<u>Chairman PanchayatSamiti</u>												
81	6	13	3	5	1	5	21	44	54.32	23.46	9.88	7.41
<u>Member PanchayatSamiti</u>												
1696	197	237	64	68	51	67	501	873	51.47	25.59	7.78	6.96
<u>Chairman ZilaParishad</u>												
12	1	2	1	1	0	1	2	6	50.00	25.00	16.67	8.33
<u>Member ZilaParishad</u>												
249	29	34	10	13	8	11	68	126	50.60	25.30	9.24	7.63

5. Structure of Panchayati Raj in Himachal Pradesh:

- a. **Gram Sabha/Up-Gram Sabha:** Gram Sabha which forms the core of the democratic decentralization needs to be given utmost attention. Thus, the state government has already taken steps to strengthen the institution of Gram Sabha. Gram Sabha have been empowered to form Vigilance Committee(s) from amongst their members to supervise Gram Panchayats works, schemes and other activities. No Member of Gram Panchayat is eligible to become member of the Vigilance Committee. It has been made mandatory for every Gram Sabha to hold four General meetings every year, besides special meetings. The District Panchayat Officer concerned notifies Gram Panchayat-wise schedule for the Gram Sabha meetings within the District. The accounts of the Panchayats are to be placed before the Gram Sabha meetings for consideration and approval. In addition to this, audit notes and replies thereto, are also

required to be placed in the meetings of the Gram Sabha. The Government has also entrusted Gram Sabha the authority to select beneficiaries under various Poverty Alleviation Programmes. As per the amendment carried out in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, a Up-Gram Sabha for each Ward of the Gram Sabha shall be constituted and all members of the Gram Sabha, residing in the area of the ward shall be the members of Up-Gram Sabha. Every Up-Gram Sabha is required to hold two General meetings every year and it shall be the responsibility of the member of the Gram Panchayat to convene such meetings. The meeting of the Up-Gram Sabha shall be presided over by the member of the Gram Panchayat representing the ward, who shall also record the proceedings. The Up-Gram Sabha may deliberate on issues relating to its area and make recommendations to the Gram Panchayat or Gram Sabha. It shall also nominate its members to represent it in the General Meetings of the Gram Sabha and these members shall be nominated in such a manner that 50% of the total families residing in the area of the ward get nominated, provided that one-half of the nomination shall be of women. But this nomination shall not debar any member of Up-Gram Sabha to attend the General Meeting of the Gram Sabha. Agenda of the Gram Sabha meeting will be circulated to the Gram Sabha members along with the notice of meeting. The village level functionaries of the Agriculture, Animal Husbandry, Primary Education, Forest, Health and Family Welfare, Horticulture, Irrigation and Public Health, Revenue and Social justice & Empowerment Departments shall attend the meetings of the Gram Sabha in whose jurisdiction they are posted. If such village level functionaries fail to attend the meetings, the Gram Sabha shall report the matter to their controlling officer through the Gram Panchayat. They shall take disciplinary action against such functionaries within one month from the date of receipt of the report and shall intimate the action taken to the Gram Sabha through the Gram Panchayat. In addition to this Gram Sabha will authorize Gram Panchayat to issue Utilization Certificate of funds spent on the implementation of the Plans, Projects and Programs undertaken in the Gram Panchayat areas.

- b. **Gram Panchayat:** Gram Panchayats are constituted for a village or group of villages having population ranging from 1000 to 5000. Keeping in view the administrative convenience, large population, geographical, topographical and transportation challenges in the remote areas, Gram Panchayats are also constituted for a population of less than 1000. The number of members of Gram Panchayat is determined on the basis of population which ranges from 5 to 13 excluding Pradhan and Up-Pradhan.

Pradhan, Up-Pradhan and Members of Gram Panchayats are required to be elected directly by the voters of the Panchayat area. The member of the Panchayat Samiti representing a part or whole of the Gram Sabha area is also the member of the concerned Gram Panchayat(s) and has the right to vote.

- c. **Panchayat Samiti:** Intermediate body of the three-tier Panchayati Raj system in the State is called Panchayat Samiti. This institution is generally co-terminus with the Development Blocks. Members of Panchayat Samiti are elected directly whereas the Chairperson and Vice-Chairperson are elected indirectly by the elected members. The number of elected Members of Panchayat Samiti is determined by the Govt. at the rate of one member for every 3500 population or part thereof subject to a minimum of 15 Members. Block Development Officer has been designated as the Chief Executive Officer of Panchayat Samiti and Panchayat Inspector is designated as Secretary of the Panchayat Samiti. The Member of the Zila Parishad, representing the ward which comprises whole or part of the Panchayat Samiti area, is also the member of the Panchayat Samiti.
- d. **Zila Parishad:** This is uppermost body of the Panchayati Raj System. In H.P Zila Parishads were constituted for the first time after the enactment of new law relating to Panchayati Raj System Consequent upon the enactment of the 73rd Constitutional Amendment, presently there are 12 Zila Parishads in this State. The Members of Zila Parishad are elected directly by the people. However, the Chairperson and Vice-Chairperson are elected by the elected Members indirectly. The number of elected Members of Zila Parishad is determined by the State Government at the rate of one Member for every 25000 populations or part thereof subject to a minimum of 10 members. The members of Lok Sabha, members of State Legislative Assembly representing a part or whole of the District and the members of Council of States where they are registered as voters and the Chairpersons of the Panchayat Samitis of the District, are also the Members of Zila Parishad. Additional Deputy Commissioner/ADM has been designated as Chief Executive Officer, whereas District Panchayat Officer is the Secretary of Zila Parishad.

6. **Constitution of District Planning Committees & Participatory Planning through Panchayats:**

The Chairperson of the DPCs is the Minister or Speaker or Deputy Speaker nominated by the State Government. The Deputy Commissioner is the Secretary of the respective District Planning Committee under the provisions of Section 185 of the Act.

As per the requirement of Article 243 Z (D) of the Constitution read with Section 185 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, the State Government has issued notification on 31st March, 2023, published in official Gazette on 3rd April, 2023, for determination of members of the District Planning Committees of all the 12 Districts and to include the Ministers, Speaker and Deputy Speaker as Chairman of the DPC.

7. Provisions of Panchayat Extension to Schedule Area in the Scheduled Areas:

Status of Panchayats in the Schedule-V (Tribal) Areas in the State.

General:

- Whole of the districts of Kinnaur and Lahaul-Spiti and two Development Blocks, viz. Pangi and Bharmour of Chamba District comprise Schedule-V areas in this State.
- There are 2 Zila Parishads, viz. Kinnaur and Lahaul-Spiti, part of Zila Parishad, Chamba, 7 Panchayat Samitis viz. Kalpa, Nichar, Pooh, Lahaul, Spiti, Bharmour, Pangi and 168 Gram Panchayats comprising in the Scheduled-V areas. Following are the number of Gram Panchayats, development block wise in the Schedule-V areas:

District- Kinnaur:

S.No.	Name of Dev. Block	No. of GPs
1.	Kalpa	24
2	Nichar	22
3.	Pooh	27
	Total GPs	73

District- Lahaul- Spiti:

S.No.	Name of Dev. Block	No. of GPs
1.	Lahaul	32
2	Spiti	13
	Total	45

District- Chamba:

S.No.	Name of Dev. Block	No. of GPs
1.	Bharmour	31
2	Pangi	19
	Total	50

- As per the 2011, Census the total population of the Schedule-V areas in the State is 1,36,475. There are 31032 households in tribal areas.
- The seats of Members are being reserved for the persons belonging to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes in the Schedule-V areas as per the provisions of the Panchayat Extension to Schedule Area.

- State Government has provided 100% reservation in the offices of Chairpersons of Panchayats at all three levels for the persons belonging to the Scheduled Tribes in Schedule-V area of the State and 50% of the total offices are further reserved for women including Scheduled Tribes.

Rules under PESA: The State Government has framed and published the HP Panchayati Raj (Extension to the Scheduled Areas) Rules, 2011 vide Notification No. PCH-HA (1) 4/ 2006-III, dated 26th March, 2011 and published in the official Gazette on 1st April, 2011. The copy of the said rules has also been hosted in the Departmental Website *hppanchayat.nic.in*.

CHAPTER-2

MAIN FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT

The core functions / activities of the department of Panchayati Raj are as follows :

- Reorganization and bifurcation of Gram Panchayats under the provisions of Panchayati Raj Act 1994.
- To make necessary amendments in Panchayati Raj Act and Rules from time to time.
- To provide financial assistants/grant to Panchayati Raj Institutions.
- To conduct audit and inspection of Panchayati Raj Institutions.
- To take disciplinary action against irregularities and complaints found against Panchayat officials.
- To grant Financial/Administrative and Technical approval of various heads.
- To impart trainings to Panchayati Raj representatives and employees.
- To solve the problems of Panchayati Raj Institutions and guide them from time to time.
- To monitor and control the progress of works assigned to Panchayati Raj Institutions.
- To motivate Panchayati Raj Institutions to get National Panchayat Award.
- To implement various schemes being run by the Central / State Government through Panchayati Raj Institutions.
- To make recruitment and promotion rules for employees of Panchayati Raj Institutions and to appoint employees in Panchayati Raj Institutions according to these rules.
- Division of assets and liabilities of the newly created Gram Panchayats.
- To grant approval for construction of Panchayat Bhawans and Common Service Centres for Gram Panchayats.

CHAPTER-3

ADMINISTRATIVE SET UP OF DEPARTMENT

This department is under the direct control of Rural Development and Panchayati Raj Minister and Pr. Secretary (Panchayat) at the State level. In this department posts of Gazetted and Non-Gazetted officers/officials as on 31.3.2024 were as under: -

Category	Name of the post	Sanctioned/All ocated posts	Filled up posts	Vacant posts
Gazetted (Class-I)	1. Secretary, IAS	1	1	0
	2. Director-cum-Special Secretary, IAS	1	1	0
	3. Joint Director-cum- Joint Secretary (HAS)	1	1	0
	4. Additional Director / Joint Director Departmental (PR)	1	1	0
	5. Joint/Deputy Director, (PR)	1	1	0
	6. Deputy Director (Legal)/Sr. Law Officer	1	1	0
	7. Superintendent. Gr-1	1	1	0
	8. Private Secretary	1	1	0
	9. District Panchayat Officer	12	7	5
	10. Principal, Panchayati Raj Trg. Institutes.	3	2	1
Non- Gazetted (Class-II)	1. Superintendent, Grade-II	17	17	0
	2. District Audit Officer/Instructor	22	18	4
	3. Panchayat Information Officer	1	1	0
	4. Personal Assistant	1	1	0
Non- Gazetted (Class- III)	1. Senior Scale Stenographer	1	0	1
	2. Junior Scale Stenographer	1	0	1

	3. Steno Typist	1	1	0
	4. Senior Assistant	22	13	9
	5. Panchayat Auditor	83	73	10
	6. Panchayat Inspector	90	80	10
	7. Sub-Inspector (Panchayat)	88	80	8
	8. Computer Programmer	4	4	0
	9. Clerk	39	18	21
	10. Junior Office Assistant(IT)	33	19	14
	11. Hostel Warden	3	3	0
	12. Driver	17	13	4
	13. Cook	6	4	2
	14. Masalchi	3	3	0
Non- Gazetted (class-iv)	1. Gest. Operator	1	0	1
	2. Daftari	1	1	0
	3. Jamadar	1	1	0
	4. Peon	65	43	22
	5. Chowkidar	17	9	8
	6. Sweeper	10	10	0
	Total:	549	428	121

CHAPTER-4

POWERS & FUNCTIONS OF PANCHAYATS

A. The following important powers and functions specified under the H.P. Panchayati Raj Act, 1994 and the rules have been entrusted to Panchayats:

- Gram Panchayats have been empowered to enquire and make report about misconduct of certain officials such as Peon, Bailiff, Constable, Head Constable, Chowkidar/ of the Irrigation Department, Forest Guard, Patwari Vaccinator, Canal Overseer, Game Watcher and Panchayat Secretary, etc.
- Gram Panchayats have been empowered to hear and decide cases relating to minor offences under the I.P.C., the Vaccination Act, 1880, the Cattle Trespass Act, 1871, the Himachal Pradesh Juveniles (Prevention of smoking Act), 1952 and the Public Gambling Act, 1867 and also to hear and decide applications for maintenance under section 125 of the Cr. P.C.
- Gram Sabhas have been empowered to approve the Annual Budget of the Gram Panchayat as well as to consider and take appropriate action in respect of the Annual Statement of Accounts of the Gram Panchayat, report of the administration of the preceding financial year and the last Audit Note and the replies, if any, made thereto;
- Gram Sabhas have been empowered to approve plans, programmes and budget prepared by the Gram Panchayat for economic development and social services and also to authorize, after being satisfied, issuance of utilization certificates of funds spent on the implementation of the plans, projects and programmes of the Gram Panchayat.
- Gram Sabhas have been empowered to constitute Vigilance Committees to supervise the Gram Panchayat works, schemes and other activities and to place reports concerning them in its meeting and shall also send a copy of the said report to the BDO.
- Panchayats at all the three levels have been empowered to execute developmental works. However, technical sanction of Takniki Sahyak, Junior Engineer, Assistant Engineer and Executive Engineer as per the limits specified in Appendix-D of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Finances, Budget, Accounts, Audit, works, Taxation and Allowances) Rules, 2002, is required.
- With a view to achieve maximum participation in the meetings of the Gram Sabhas, it has been made mandatory that every Gram Sabha shall hold four general meetings in each year. The District Panchayat Officer concerned shall notify Gram Panchayat-wise dates for the Gram Sabha meetings within the District.
- There shall be constituted Up-Gram Sabha for each Ward of the Gram Panchayat and all members of the Gram Sabha residing within the area of the Ward shall be members of the Up-Gram Sabha.
- Panchayats at all the three levels have been empowered to constitute standing committees.
- Panchayats at all the three levels have been empowered to raise loans for creation of income generating assets without previous sanction of the Government if the project is assessed by the financial institutions as economically/financially viable. However, the Gram Panchayat shall

be required to obtain prior approval of the Gram Sabha for raising a loan and further to intimate the State Government regarding raising of loan for a particular project.

- The Gram Panchayats have been empowered to protect public property such as sign boards, mile stones on public roads, paths, irrigation and water supply schemes, public taps, public wells, hand pumps, community centers, mahila mandal Bhawans, school buildings, health institution buildings. In case of violation of the orders of the Gram Panchayats in the matter, the Gram Panchayat can also impose penalty upto Rs.1000/- and in case of recurring breach, further penalty @ Rs.10/- per day with maximum upto Rs. 5,000 can be imposed.
- Panchayats have been authorized to levy taxes, fees, fines and cess.
- It has been made mandatory that the village level functionaries of the Agriculture, Animal Husbandry, Primary Education, Forest, Health and family Welfare, Horticulture, Irrigation & Public Health, Revenue and Social Justice and Empowerment Department shall attend the meetings of the Gram Sabha.

B. Powers and functions devolved under executive orders from time to time:

With a view to strengthen democracy at the grass root level and to make the PRIs viable institutions of self-governance, the State Government has devolved powers, functions and responsibilities relating to 15 departments, namely Agriculture, Animal Husbandry, Ayurveda, Education, Food & Supplies, Forest, Health & Family Welfare, Horticulture, Industries, Irrigation & Public Health, Public Works, Revenue, Rural Development and Social Justice & Empowerment to the Panchayati Raj Institutions on 31st July, 1996 covering 29 subjects as mentioned in the 11th Schedule of the Constitution. Besides the above, the Government has also delegated following powers by way of executive orders to the PRIs: -

1. Preparation of Micro-Plans by Gram Panchayats.
2. Powers to decide about location of Institutions of public utility.
3. Village level committees of the department to be integrated with the standing committees of the PRIs set up.
4. Selection of beneficiaries under various schemes shall be done through Gram Sabha.
5. PRIs have been empowered to report about the physical attendance of Ayurvedic, Allopathic and Animal Husbandry Doctors, School Teachers, Patwaris, Forest Guards etc. at their places of posting.
6. Chairpersons of Zila Parishads have been designated as the Chairpersons of the Governing Body of the respective DRDAs.
7. Cess of Rs.1/- per bottle of liquor sold in the rural areas is collected and transferred to the Gram Panchayats for utilization in developmental activities.
8. Zila Parishads have been empowered to appoint Assistant Engineer on contract basis for giving technical guidance to PRIs.
9. The Gram Panchayats have been made the appointing authority in respect of the grass root level functionaries such as Panchayat Chowkidars, Tailoring Mistresses, Water Guard and Water Carrier etc. Panchayat Secretaries (contract) are appointed by Zila Parishad.
10. Zila Parishad and Panchayat Samitis have been empowered to supervise the duties and functions regarding revenue matters to assist the revenue officials in identification of landless/houseless persons and formulation of policies for utilization of government land and giving no objection certificates for such land on lease at district and Block level.

11. Gram Sabha consultations has been made compulsory before granting of mining lease and installation of mineral based industry.

Financial Resources of Panchayats:

1. Grant in aid from the Govt.
2. House tax.
3. Tax on extraction and export of sand, stone, Bajri and slates.
4. Liquor cess @ Re.1/- per bottle sold in rural areas.
5. Land revenue.
6. Interest money.
7. Teh-bazari from the shopkeepers.
8. Service fee.
9. Income from own assets such as shops, orchards etc.

C. Imposition of taxes by Gram Panchayats: Presently Zila Parishads and Panchayat Samitis are not levying any tax, fees, cess etc. However, a Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy: -

- (i) Property tax:** A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy property tax at such rates and in such manner as it may deem fit on residential and commercial buildings, in the Sabha area.
- (ii) Profession Tax:** With the previous approval of the Government, a tax on persons carrying on any profession, trade, calling and employment other than agriculture in the Sabha area can be levied; provided such tax has not been levied in the Sabha area by any other local authority under any law for the time being in force;
- (iii) Duty on transfer of property:** If so authorized by the Government, a duty on transfer of property in the form of a surcharge on the duty levied under the Indian Stamp Act, 1899, in its application to Himachal Pradesh, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the Sabha area at such rate as may be fixed by the Government not exceeding two percent on, as the case may be, the amount of the consideration, the value of the property or the amount secured by the mortgage, as set forth in the instrument may be imposed.
- (iv) Fees:** A Gram Panchayat may, through a resolution and after previous publication, levy following fees at such rates and in such manner as it may deem fit in the Sabha area, namely: -
 - (a) Teh-Bazari from the shopkeepers in the fairs.
 - (b) Service fee for cleaning of streets, lighting of streets, sanitation, solid and liquid waste management, parking of vehicles, as the case may be;
 - (c) Fee for registration of animals sold in the Sabha area; and
 - (d) Water rate where water is supplied by the Gram Panchayat.
- (v) Land Revenue:** Gram Panchayats have been empowered to collect the land revenue from the land owners/right holders through Lamberdars or by itself where Lamberdar is not available and Gram Panchayats will use the collected land revenue at their own level.
- (vi) Liquor Cess:** Cess of Rs.1/- per bottle of liquor sold in the rural areas will be collected and transferred to the Gram Panchayats for utilization in developmental activities.

Honorarium to elected representative of Panchayati Raj Institutions:

The rates of honorarium provided to elected representatives PRIs w.e.f. 1.4.2023 is as under: -

S.No.	Particular of elected representatives	Rates of Honorarium
1	Chairperson of Zila Parishad	20000/-
2	Vice-Chairperson of Zila Parishad	15000/-
3	Member of Zila Parishad	6500/-
4	Chairperson of Panchayat Samiti	9500/-
5	Vice-Chairperson of Panchayat Samiti	7000/-
6	Member of Panchayat Samiti	6000/-
7	Pradhan of Gram Panchayat	6000/-
8	Up-Pradhan of Gram Panchayat	4000/-
9	Member of Gram Panchayat	Rs. 500/- per meeting subject to maximum of two meeting in a month.

Daily allowance is admissible to the office bearers of Panchayats on following rates as per the notification no. PCH-HA (3)20/95-III Dated 9thMay 2017: -

Sr. No	Category of the Office bearers of Panchayats	Rates of Daily and Travelling Allowance
1	Chairperson and Vice-Chairperson of Zila Parishads.	Actual Bus/Rail Fare and Daily Allowance@ 240/- Per day
2	Members of Zila Parishad and Chairperson and Vice Chairperson of Panchayat Samitis.	Actual Bus/Rail Fare and Daily Allowance@ 180/- Per day
3	Members of Panchayat Samitis, Pradhans and Up-Pradhans of Gram Panchayats.	Actual Bus/Rail Fare and Daily Allowance@ 150/- Per day
4	Members of Gram Panchayats	Actual Bus/Rail Fare and Daily Allowance@ 90/- Per day

The expenditure on travelling and daily allowances is borne by the concerned Panchayat.

Accountability and transparency in the functioning of PRIs:

To make grass root level democratic institutions more responsive, accountable and to ensure transparency in their day to day functioning, instructions have been issued with respect to providing access of information, publicity, accountability, promptness in dealing with public. Any voter of the Panchayat area can inspect the record of the Panchayat and can have copy thereof after paying nominal fee prescribed for the purpose. Permanent as well as variable information including list of beneficiaries and list of schemes along with sanctioned amount thereto is to be displayed on the notice boards of the Panchayats. Besides, attendance of the Panchayat Secretary in a particular Panchayat is verified by the concerned Pradhan.

Technical & administrative Staff of PRIs.

With a view to provide technical guidance and assistance in the execution of developmental works being executed by Panchayats, the technical wing has been established under Zila Parishad Cadre. The detail of the sanctioned, filled up and vacant posts as on 31.03.2024 is as follows:

S.No.	Name of the post	Pay Scale	Sanctioned posts	Filled up posts	Vacant posts
1.	Xen	Pay Matrix level-23 (83600-203100)	4	2	2
2.	Assistant Engineers	Pay Matrix level-18 (56100-177500)	33	28	5
3.	Block Engineers	18000/-PM	12	12	0
4.	Superintendent Grade-II	Pay Matrix level-12 (43000-136000)	1	0	1
5.	Senior Assistant	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	1	0	1
6.	Head Draftsman	Pay Matrix level-12 (43000-136000)	1	0	1
7.	Junior Engineers	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	238	173	65
8.	Design Engineers	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	17	5	12
9.	Draftsman	Pay Matrix level-11 (38500-122700)	36	0	36
10.	Takniki Sahayak (Regular Scale)	Pay Matrix level-8 (29700-94100)	1205	968	237
11	Junior Scale stenographer (Regular)	Pay Matrix level-7 (28900-91600)	12	12	0
12	Steno Typist	Pay Matrix level-5 (21300-67800)	1	0	1
13	Driver	Pay Matrix level-5 (21300-67800)	1	0	1
14	Junior Accountant	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	12	12	0
15	Data Entry Operator	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	15	15	0
16	Panchayat Secretary	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	3412	2559	853
17	Clerk	Pay Matrix level-3 (20200-64000)	1	0	1
18	Peon	Pay Matrix level-1 (18000-56900)	2	0	2
19	Sewadar-cum-Chowkidar	Pay Matrix level-1 (18000-56900)	13	12	1
20	Tailoring teachers (Daily Wage)	424/- daily	1643	1643	0
	Tailoring teachers (Contract)	8500/- PM	16	16	0

21	Panchayat Chowkidar (Daily Wage)	375/- Daily	33203	1550	2218
22	Panchayat Chowkidar (Part-Time)	7000/-PM		1435	

CHAPTER-5

Audit and Inspection

Audit:

It is provided under sub-section (1) of section 118 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 that there shall be an audit agency, in the Panchayati Raj Department to conduct audit of accounts of Panchayats.

The Audit of Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads are being conducted every year. Audit of Panchayat Samitis is conducted by the District Audit Officer whereas audit of Gram Panchayat is conducted by the Auditors. Besides this test audit of 10 percent Gram Panchayats is conducted by the District Audit Officer. Re-Audit of those Gram Panchayats and Panchayat Samitis is also conducted where serious cases of embezzlement come to the notice of Department. In addition, 04 posts of District Audit officer and 10 posts of Auditors were vacant.

The details of departmental audit of Gram Panchayats and Panchayat Samitis for the year 1.4.2023 to 31.3.2024 are as under: -

Sr. No	Name of District	Total no of Panchayat Samitis	Panchayat Samitis Audited					Gram Panchayat Audited					
			Target for Deptt. Auditors	Audit conducted	Audit conducted online	Percentage of Manual Audit	Percentage of Audit online	Total no of Gram Panchayat	Target for Deptt. Auditors	Audit conducted	Audit conducted online	Percentage of Manual Audit	Percentage of Audit online
1	Bilaspur	4	3	3	4	100%	100%	176	103	51	105	49%	100%
2	Chamba	7	6	5	7	83%	100%	309	240	242	309	100%	100%
3	Hamirpur	6	6	6	6	100%	100%	248	248	154	248	62%	100%
4	Kangra	15	8	8	15	100%	100%	814	679	679	814	100%	100%
5	Kinnaur	3	7	4	3	57%	100%	73	73	3	28	4%	100%
6	Kullu	5	4	3	5	75%	100%	235	205	49	235	23%	100%
7	Lahaul Spiti	2	1	1	2	100%	100%	45	45	37	45	82%	100%
8	Mandi	11	5	0	11	0%	100%	559	411	183	559	44%	100%
9	Shimla	12	5	3	12	60%	100%	412	387	122	412	31%	100%
10	Sirmaur	6	3	0	6	0%	100%	259	229	89	259	38%	100%
11	Solan	5	5	2	5	40%	100%	240	210	55	245	26%	100%
12	Una	5	3	3	5	100%	100%	245	240	156	240	65%	100%
	Total	81	56	38	81	67.85%	100%	3615	3070	1820	3499	59%	100%

Inspection:

Every year Gram Panchayats are inspected by the Panchayat Inspectors or Sub- Panchayat Inspectors (Panchayat), whereas the inspection of Panchayat Samitis is conducted by the District Panchayat Officer or other senior officer of the Department.

The details of inspections of Gram Panchayats from 1.4.2023 to 31.3.2024 are as under: -

Sr no.	Name of District	Total no. of Gram Panchayats	Total no. of Gram Panchayats Inspected	Balance	Percentage
1	Bilaspur	176	126	50	71.59%
2	Chamba	309	122	187	39.48%
3	Hamirpur	248	143	105	57.66%
4	Kangra	814	534	280	65.60%
5	Kinnaur	73	17	56	23.28%
6	Kullu	235	28	207	11.91%
7	LahaulSpiti	45	1	44	2.22%
8	Mandi	559	277	282	49.55%
9	Shimla	412	140	272	33.98%
10	Sirmaur	259	111	148	42.85%
11	Solan	240	124	116	51.66%
12	Una	245	119	126	48.57%
	Total	3615	1742	1873	48.18%

CHAPTER-6

Training

Status of Training imparted to PRIs in all Districts/PRTIs during 2023-24

The department carries out training activities to the elected representatives and officials of PRIs through the following institutions.

1. Three Panchayati Raj Training Institutes established at Mashobra, Thunag and Baijnath.
2. District Panchayat Resource Centres at District/Zila Parishad Level.
3. By the District Panchayat Officer at the District /Zila Parishad level
4. By the Block Development Officers at Block/Panchayat Samiti/Gram Panchayat Level.
5. Detail of training given in the year 2023-24 is given below:-

Institute wise Activity Tracker Report (2023-2024) of Himachal Pradesh as per TMP Portal				
S.No.	Organization Name	Total No. of Training Scheduled	Total No. of Training Conducted	Total No. of Participants Trained
1	SIRD	11	83	2454
2	Panchayat Raj Training Institute Mashobra(Craigneno) Shimla(STATE- HIMACHAL PRADESH)	0	82	4089
3	Panchayati Raj Training Institute Baijnath Kangra(STATE- HIMACHAL PRADESH)	0	55	2107
4	Panchayati Raj Training Institute Thunag Mandi(STATE- HIMACHAL PRADESH)	1	83	2666
5	DPRC(District Panchayat - CHAMBA)	1	359	11061
6	DPRC(District Panchayat - KULLU)	28	146	4151
7	DPRC(District Panchayat - BILASPUR)	52	157	5691
8	DPRC(District Panchayat - HAMIRPUR)	48	180	7721
9	DPRC(District Panchayat - KANGRA)	117	623	20206
10	DPRC(District Panchayat - KINNAUR)	0	59	1886
11	DPRC(District Panchayat - LAHAUL AND SPITI)	6	11	244
12	DPRC(District Panchayat - MANDI)	80	364	11939
13	DPRC(District Panchayat - SHIMLA)	78	133	6339
14	DPRC(District Panchayat - SOLAN)	13	108	3254
15	DPRC(District Panchayat - UNA)	29	178	6459

16	DPRC(District Panchayat - SIRMAUR)	1	263	7870
Total		465	2884	98137

Besides the above, in order to facilitate the training and capacity building activities in the state, a Society named as “SIRDPR”, i.e. State Institute of Rural Development and Panchayati Raj Society has been established, having its headquarters at Craigneno(Mashobra), Shimla-7.

The staffing position of the PRTIs as on 31.03.2024 is as follows :

Staffing Position

Sr.No.	Name of post	PRTI Mashobra	PRTI Baijnath	PRTI Thunag
1	Principal	1	1	1
2	Superintendent-II	1	1	1
3	District Audit Officer/Instructor	3	3	3
4	Programmer	1	1	1
5	Clerk	2	2	2
6	JOA(IT)	1	1	1
7	Hostel Warden	1	1	1
8	Cook	2	2	2
9	Driver	1	0	1
10	Masalchi	1	0	2
11	Peon	3	3	3
12	Chowkidar	4	2	2
13	Sweeper (Dying Cadre)	3	1	2
Total		24	18	22

CHAPTER-7

Panchayat Bhawan

With a view to provide boarding and lodging facilities to the elected representatives of PRIs, Panchayat Bhawans at District Shimla, Mandi, Kullu, Lahaul-Spiti have been constructed. A State level Panchayat Bhawan is situated at Shimla, which is under the control of the State level Governing Body. An Executive Committee has also been constituted, which approves the income and expenditure of the PanchayaBhawan Shimla. It also approves the action plan for smooth functioning of the Panchayat Bhawan. The meeting of the Governing Body is held as and when needed. Bye-laws have also been framed to ensure smooth functioning of the Panchayat Bhawan.

Zila Parishad Buildings: In the light of the provisions of 73rd Constitutional Amendment and the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, three tiers system of Panchayats was established in the state and as a result of which Zila Parishads came in to existence for the first time in the year 1996. As on 31.03.2024 all Zila Parishad except Shimla and Kinnaur have their own Zila Parishad Buildings. The work of Zila Parishd Shimla is near completion and the funds have been sanctioned for the construction of Zila Parishad Bhawan for Kinnaur.

CHAPTER -8

e-Panchayat application:-

The Ministry of PanchayatiRaj has been making efforts to bring in transparency Efficiency and accountability in the functioning of Panchayats through use of information and communication technology. The Ministry has been fervent in recognizing the efforts taken by the state/ UTs in the use of ICT by the Panchayats by conferring e-Panchayat application.

Monitoring the efficient utilization of e-Application (eGramSwaraj) which are as under: -

- 1. Planning Module** (Planning software in which GPDP are made by the Gram Panchayats)
- 2. Progress Reporting Module** (execution software in which the progress of the work has been entered)
- 3. m-Action** (Geo-tagging of the work has been entered in this software)
- 4. Accounting module** (accounting software in which accounts of the Gram Panchayats has been maintained)
- 5. Asset DirectoryModule** (Asset Directory software in which the details of the asset have been entered by the GPs)
- 6. Area profiler Module**(In this software Gram Panchayat has been entered the detail information of Panchayat ie: Member details, Committee details, General Profile, employee details. etc)
- 7. Local Government Directory** (This software maintained the complete directory of land region/revenue, rural and urban local governments).

Primary objective of Local Government Directory is to facilitate State Departments to update the directory with newly formed panchayats/local bodies,re-organization in panchayats, conversion from Rural to Urban area etc. and provide the same info in public domain.

Key Features of Local Government Directory:

Generation of unique code for each local government body - each local government body is assigned with a unique code.

Maintenance of local government bodies and its mapping with constituting land region entities. For ex. gram panchayat mapping with villages.

Mandatory upload of Govt. order for each modification in the directory - to ascertain the users that the data published in LGD is authentic.

Maintenance of historical data-when modifications take place in LGD, the old values/data is archived.

Provision to maintain state specific local government setup. Compliance with Census 2011 codes.

Facility to integrate with state specific standard codes - if any state is following standard codes for state level software applications, the same code can be linked to LGD code.

Other Online Services rolled out by Panchayati Raj Department:

Online e-Parivar Register:

This service aims to provide Copy of Parivar Register to the eligible Applicant. Applicant can apply through e-district portal(edistrict.hp.gov.in). This service also linked with digital locker.

Marriage Certificate:

A Marriage Certificate is the proof of registration of a marriage. The need for a Marriage Certificate arises in case you need to prove that you are legally married to someone, for purposes like obtaining a passport, changing your maiden name, etc. Applicant can apply through e-district portal(edistrict.hp.gov.in).

Birth Certificate:

Birth Certificate is the most important identity document that makes it possible for anyone in possession of it to benefit from a gamut of services offered by the Indian Government to its citizens. Applicant can apply through e-district portal(edistrict.hp.gov.in) or Civil Registration System(crsorgi.gov.in)

Death Certificate:

A Death Certificate is the proof of death of the deceased person. Applicant can apply through e-district portal(edistrict.hp.gov.in) or Civil Registration System(crsorgi.gov.in)

Himachal Pradesh applied for ePanchayatPuraskar with year 2020 and 2021 and got the 1st Prize in 2020, 2nd Prize on FY 2021 in all over the country. The Ministry of PanchayatiRaj commends and applauds the efforts made by the State Governments in furthering the objective of empowering the grassroots level local self-Governments. Hope that this recognition will encourage all the functionaries and officials working in the state to implement the e-Governance Activities for empowering the Panchayati Raj Institutions.

CHAPTER-9

Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)

- Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) is a centrally sponsored scheme in the ratio of 90:10, for developing and strengthening the capacities and capabilities of Panchayati Raj Institutions (PRIs) for Rural Local Governance to become more responsive towards local development needs, preparing the participatory plans that leverage technology, efficient and optimum utilization of available resources for realizing sustainable solutions to local problem linked to sustainable Development Goals (SDGs). An amount of Rs. 100.42 crore has been approved for the year 2024-25 and first installment Rs.30.23 crore (Centre-State) has been received.
- Provision of funds have been made in the FY 2024-24 to set up VC systems in phased manner in Gram Panchayats.
- A total of 55000 elected representatives and officials have been trained in the year 2024.
- The Economic Development and Livelihood Generation Project in the Hamirpur district have been set up in the Gram Panchayat of Hareta, Kamyana (Shimla) and Androli (Una). In the year 2024, a total of ₹5.00 crore has been allocated under the R.G.S.A. scheme (₹2.00 crore for Hareta and Kmyana projects and ₹1.00 crore for Androli project).
- Funds for construction of Common Service Centers (CSCs) co-located with Gram Panchayat Bhawan have been sanctioned for 1557 Gram Panchayats, out of which construction work of 1101 CSCs have been completed.
- In 2024 after completing the co-locations process in 669 Common Service Centers, village Level Entrepreneurs (VLEs) have been appointed in these 669 Gram Panchayats.
- Under the R.G.S.A. scheme, after completing the establishment of 08 Panchayat Learning Centers, these centers have been made operational for training and other replicable activities.
- The Himachal Pradesh Government has constituted a coordination committee at the state level under the chairmanship of Secretary Panchayati Raj to effectively implement and monitor the PESA Act. This state-level coordination committee includes officials from departments related to the PESA Act, including the Industries, Tribal Development, Forest, Revenue, Water Power Department, and Excise Departments.
- 02 District Panchayat Resource Centers, 01 in Mandi and the other in Bilaspur have been made functional for training purposes. Construction work has been completed in district Shimla and work is near completion in Kangra and sirmaur Districts.

CHAPTER -10

Commendable works/Achievements

1. HINDI PURASKAR:- Most of the official work in the field offices as well as in the Directorate of Panchayati Raj Department is done in Hindi and department get award to work in Hindi every year. In the year 2023-24 the department got 3 prizes.

2. Common Training Calendar:- The common calendar has been prepared for the training by the all institutes of Panchayati Raj and Rural Dev. Department. PRTI and SIRD offices has been shifted to the same campus. This has resulted into the benefits of the coordinated and pre planned training activities for the whole of the financial year.

CHAPTER -11

Funds

The budget provisions of the department for the year 2023-24 were as follows: -

The GIA details for the year 2023-24 in respect of Panchayati Raj Department.

(Rs.in Lakh)

D.No.H.O.A	SOE41-Salary	42 Non-Salary	44-Capital Assets	Other Charges	Total
2515-00-101-02 SOON-NP-Assistance to PRIs	--	44.00	38.01	--	82.01
2515-00-196-04 SOON-NP-SFC	17851.24	411.12	173.30	--	18435.66
2515-00-196-06 SOON-NP-15 th FC	--	--	1882.37	--	1882.37
2515-00-196-07 SOON-NP-15 th FC	--	--	2823.57	--	2823.57
2515-00-197-04 SOON-NP-SFC	823.50	78.86	86.15	--	988.51
2515-00-197-06 SOON-NP-15 th FC	--	--	1850.22	--	1850.22
2515-00-197-07 SOON-NP-15 th FC	--	--	2775.33	--	2775.33
2515-00-198-04 SOON-SFC	11969.81	1037.35	2156.98	--	15164.14
2515-00-198-05 SOON-15 th FC	--	--	8634.35	--	8634.35
2515-00-198-06 SOON-15 th FC	--	--	12951.55	--	12951.55
D.No.31	SOE41-Salary	42 Non-Salary	44-Capital Assets	Other Charges	Total
2515-00-796-01 SOON-P-Assistance to PRI	1182.72	60.00	90.00	--	1332.72
2515-00-796-20-SOON-15 th FC	--	--	109.63	--	109.63
2515-00-796-21-SOON-15 th FC	--	--	164.44	--	164.44
2515-00-796-22-SOON-15 th FC	--	--	141.78	--	141.78
2515-00-796-23-SOON-15 th FC	--	--	212.67	--	212.67
2515-00-796-24-SOON-15 th FC	--	--	661.64	--	661.64
2515-00-796-25-SOON-15 th FC	--	--	992.45	--	992.45
D.No.32	SOE41-Salary	42 Non-Salary	44-Capital Assets	Other Charges	Total
2515-00-789-21-SOON-V-N-	6010.87	138.43	58.35	--	6207.65

2515-00-789-22-SOON-V-N-	240.14	26.55	29.01		295.7
2515-00-789-23-SOON-V-N-	3252.75	349.30	726.30		4328.35

Construction of Panchayat Ghars in newly created Gram Panchayats.

Sr.No.	Head of Account with scheme	Budget Allocation
1	20-4515-00-101-01-SOON-37-N-V-Major Work	1185.00
2	31-4515-00-796-01-SOON-37-N-V-Major Work	162.00
3	32-4515-00-789-01-SOON-37-P-V-Major Work	453.00
	TOTAL	1800.00

RASHTRIYA GRAM SWARAJ ABHIYAN

The GIA details under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan for the year 2023-24 in respect of Panchayati Raj Department

(Rs.in Lakh)

D.No.	Centre Share	State Share	Total
20-RGSA	3903.50	434.22	4337.72
31-RGSA	174.00	60.00	234.00
32-RGSA	2161.00	240.11	2401.11

CHAPTER-12

Right to Information Act

In pursuance of the Section-5 of the Right to Information Act, 2005 the following officers have been designated to provide information: -

STATE LEVEL

Sr. No.	Name of the Officers with present designation	Designation under RTI Act, 2005
1.	Additional Director	Appellate Authority.
2.	Supdt. Grade-I	Public Information Officer
3.	Supdt. Grade-II	Assistant Public Information Officer.

At DISTRICT LEVEL

DISTRICT SHIMLA

S.N.	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	0177-2657028
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	0177-2657028
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	0177-2657028

DISTRICT SOLAN

S.N.	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01792-223705
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01792-223756
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01792-223756

DISTRICT SIRMOUR AT NAHAN

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01702- 222410
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01702- 222272
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01702- 222272

DISTRICT KINNAUR

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01786-222290
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01786-222290
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01786-222290

DISTRICT KULLU

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01902-222226
2.	Public Information Officer.	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer.	01902-222306
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer.	01902-222306

DISTRICT LAHUL-SPITI AT KEYLONG

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01900- 222457
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01900- 222457
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01900- 222457

DISTRICT MANDI

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01905-225205
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01905- 223025
3.	Assistant Public Information Officer.	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01905- 223025

DISTRICT HAMIRPUR

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01972-224324
2.	Public Information Officer.	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01972-222407
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01972-222407

DISTRICT BILASPUR

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01978-224763
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01978-223871
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01978-223871

DISTRICT KANGRA AT DHARAMSHALA

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01892-223321
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01892- 223209
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01892- 223209

DISTRICT CHAMBA

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01899-222540
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01899-222204
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01899-222204

DISTRICT UNA

Sr. No	Designation under RTI Act, 2005	Name of the Post to be designated	Telephone / fax No.
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer	01975-225188
2.	Public Information Officer	Superintendent Grade-II O/o District Panchayat Officer	01975-222607
3.	Assistant Public Information Officer	Senior Assistant O/o District Panchayat Officer	01975-222607

AT PANCHAYAT SAMITI LEVEL

Sr. No.	Officer/official	Designation under RTI Act, 2005
1.	Executive Officer-cum Block Development Officer	Appellate Authority.
2.	Inspector (Panchayat)	Public Information Officer.
3.	Sub Inspector (Panchayat)	Assistant Public Information Officer.

AT GRAM PANCHAYAT LEVEL

Sr. No.	Officer/official	Designation under RTI Act, 2005
1.	Block Development Officer	Appellate Authority
2.	Secretary/Panchayat Sahayak of concerned Gram Panchayat	Public Information Officer

PANCHAYATI RAJ INSTITUTES BAIJNATH, MASHOBRA AND THUNAG

Sr. No.	Name of the Post to be designated	Designation under RTI Act, 2005	Telephone (Mashobra)	Telephone (Bajnath)	Telephone (Thunag)
1.	Principal	Appellate Authority	95177-2740227	951894-263041	0190725758
2.	Senior most Instructor	Public Information Officer.	95177-2740227	951894-263041	0190725758

3.	Junior Assistant/ Clerk	Assistant Public Information Officer.	95177-2740227	951894-263041	0190725758
----	-------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------	------------

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT KINNAUR

Sl. No.	Designation under R.T.I. Act, 2005	Name of the post to be designated
1.	Appellate Authority	Project Officer, I.T.D.P.-cum-Chief Executive Officer, ZilaParishadKinnaur.
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Kinnaur.
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer Kinnaur

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT KULLU

Sl. No.	Name of the post to be designated	Designation under R.T.I. Act, 2005
1.	Appellate Authority	Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Z.P. Kullu
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Kullu.
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer Kullu

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT LAHAUL SPITI AT KEYLONG

Sr. No.	Name of Appellate Authority/ PIO/APIO	Designated & Office Address	Jurisdiction (area/subject)
1.	(PIO)	District Panchayat Officer	Supervision of PRIs up to District Level
2.	(APIO)	District Audit Officer	Conducting of Audit of PRIs upto District Level

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT SIRMOUR, NAHAN

Sl. No.	Name of the post to be designated	Designation under R.T.I. Act, 2005
1.	Appellate Authority	District Panchayat Officer-Secretary, ZilaParishadSirmour
2.	Superintendent, District Panchayat Officer-Sirmour at Nahana	Public Information Officer
3.	Personal Assistant, ZilaParishad	Asstt. Public Information Officer

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT MANDI

Sl. No.	Designation under R.T.I. Act, 2005	Name of the post to be designated
---------	------------------------------------	-----------------------------------

1.	Appellate Authority	Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Z.P.
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P.
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT SOLAN

Sl. No.	Designation under R.T.I. Act, 2005	Name of the post to be designated
1.	Appellate Authority	ADM-cum-Chief Executive Officer, Zila Parishad. Solan
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Solan.
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer Solan

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT SHIMLA

Sl. No.	Designation under R.T.I. Act, 2005	Name of the post to be designated
1.	Appellate Authority	ADC-cum-Chief Executive Officer, Z.P. Shimla
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Shimla.
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer Shimla

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT HAMIRPUR

Sl. No.	Designation under R.T.I. Act, 2005	Name of the post to be designated
1.	Appellate Authority	Additional Distt Magistrate-cum-Chief Executive Officer, Z.P. Hamirpur
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Hamirpur
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer Hamirpur

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT CHAMBA

Sl. No.	Name of the post to be designated	Designation under R.T.I. Act, 2005
---------	-----------------------------------	------------------------------------

1	ADM-cum-Chief Executive Officer, Z.P. Chamba	Appellate Authority
2.	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Chamba.	Public Information Officer
3.	Distt. Audit Officer Chamba	Asstt. Public Information Officer

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT UNA

Sl. No.	Designation under R.T.I. Act, 2005	Name of the post to be designated
1.	Appellate Authority	Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Z.P. Una
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Una.
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer Una

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT BILASPUR

Sl. No.	Name and Designation	Authority	Jurisdiction
1	DPO	Appellate Authority	ZilaParishadBilaspur
2.	DAO	Public Information Officer	ZilaParishadBilaspur
3.	Supdt.	Asstt. Public Information Officer	ZilaParishadBilaspur

OFFICE OF THE SECRETARY, ZILA PARISHAD DISTRICT KANGRA ATDHARAMSHALA

Sl. No.	Designation under R.T.I. Act, 2005	Name of the post to be designated
1.	Appellate Authority	Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Executive Officer, Z.P. Kangra
2.	Public Information Officer	District Panchayat Officer-cum-Secretary, Z.P. Kangra.
3.	Asstt. Public Information Officer	Distt. Audit Officer Kangra

All information pertaining to this department is available on departmental website i.e. www.hppanchayat.nic.in.